षोडश माला, खंड 12, अंक 14 सोमवार, 10 अगस्त, 2015
19 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

10.08.2015

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)
अंक 14, सोमवार, 10 अगस्त, 2015 / 19 श्रावण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
भूटान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	13
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	14
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	15
10 अगस्त, 2015 को झारखंड में देवघर के एक मंदिर में हुई भगदड़ में 11 व्यक्तियों की कथित मृत्यु और कई व्यक्तियों के घायल होने के बारे में	
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
[1]तारांकित प्रश्न सं. 283	23-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	33
तारांकित प्रश्न संख्या 284 से 302	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	34-39
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
7वां प्रतिवेदन	40

---

[1] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

8वां प्रतिवेदन 40

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

5वां तथा छठा प्रतिवेदन 41

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

8वां प्रतिवेदन 42

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(1)16वें से 19वां प्रतिवेदन 43

(2) विवरण 43

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पीयूष गोयल 44

'विमानपत्तनों पर सुरक्षा में चूक' के बारे में दिनांक 28.7.2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के संबंध में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

डॉ. महेश शर्मा 45

सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

(एक) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 48

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015 67

सदस्यों द्वारा निवेदन 50-86

झारखंड के देवघर में हुई भगदड़ के कारण श्रद्धालुओं की कथित मृत्यु के बारे में

नियम 377 के अधीन मामले 87-116

(एक) हिमालय क्षेत्र में अखरोट की खेती के लिए एक विशेष मिशन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 87

(दो) बिहार में सुगौली तथा लौरिया में एच.पी.सी.एल. द्वारा संचालित चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय जायसवाल 88

(तीन) बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बंद पड़ी पेपर और सूत मिल को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी 89

(चार) एम्स के विभिन्न विभागों में रोटेशन ऑफ हेडशिप पॉलिसी का क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 89

(पाँच)	कच्छ के रन के किनारे-किनारे बाखासर, राजस्थान को एक नहर/चैनल का निर्माण कर अरब सागर से जोड़े जाने की आवश्यकता	
	कर्नल सोनाराम चौधरी	91
(छह)	उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	93
(सात)	महाराष्ट्र में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	डा. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	93
(आठ)	गुजरात में खिजाड़िया और अमरेली के बीच रेल लाइन का आमान-परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने तथा खिजाड़िया-अमरेली-धारी-विसावदर-जूनागढ़ रेल लाइन के आमान-परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री नारणभाई काछड़िया	95
(नौ)	हरियाणा में सी.एन.जी. के मूल्य दिल्ली के बराबर किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रमेश चंद्र कौशिक	95

10.08.2015

(दस)	इलाहाबाद में एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने तथा इलाहाबाद से चैन्नई, बैंगलुरू तथा कोलकाता के लिए विमान सेवाएं भी शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री केशव प्रसाद मौर्य	96
(ग्यारह)	विषैली खाद्य वस्तुओं की समस्या के बारे में	
	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	97
(बारह)	उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मांस के अवैध व्यापार पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राघव लखनपाल	99
(तेरह)	सभी वृद्ध लोगों, शारीरिक रूप से विकलांगों और विधवाओं को उनके कल्याण के लिए बनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने हेतु उन्हें बी.पी.एल. कार्ड जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम टहल चौधरी	100
(चौदह)	उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में दहर झील पक्षी विहार में पर्याप्त जल स्तर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	डा.अंशुल वर्मा	100

(पंद्रह)	मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती कृष्णा राज	101
(सोलह)	कर्नाटक में टुमकुर को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	103
(सत्रह)	कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बी.आर.टी. टाइगर रिजर्व की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट आबंटित करने और समय पर धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आर. ध्रुवनारायण	104
(अठारह)	इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चैन्नई से शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरा करने वालों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. पी. वेणुगोपाल	105
(उन्नीस)	तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अम्बासमुद्रम रेलवे स्टेशन पर बुनियादी अवसंरचना विकसित किए जाने और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.आर.पी. प्रबाकरन	106

(बीस)	रांची-विजयवाड़ा राजमार्ग पर सिलेरू नदी पर माटु-सिलेरू पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	107
(इक्कीस)	देश में बाल विवाह रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अरविंद सावंत	108
(बाईस)	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन. क्रिष्टप्पा	109
(तेईस)	राष्ट्रीय खेलकूद नीति बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	111
(चौबीस)	सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए पर्याप्त धनराशि और अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. ए. संपत	113

(पच्चीस) आंध्र प्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता के बारे में व्यापक सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता 114

(छब्बीस) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत किडनी रोगियों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए जाने में कथित विसंगतियों के बारे में

श्री राम किशोर सिंह 115

नियम 193 के अधीन चर्चा 117

सतत विकास लक्ष्य

श्री प्रहलाद सिंह पटेल

10.08.2015

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तम्बिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 10 अगस्त, 2015 / 19 श्रावण, 1937 (शक)

लोकसभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*]

10.08.2015

भूटान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए भूटान की संसद की नेशनल असेंबली के स्पीकर, महामहिम श्री जीग्मे जांगपो और नेशनल काउंसिल के चेयपर्सन महामहिम डॉ. सोनम किंगा तथा भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करती हूं।

वे रविवार 9 अगस्त, 2015 को भारत पहुंचे और वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। वे दिल्ली के अलावा आगरा एवं जयपुर की भी यात्रा करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। भारत के भूटान के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। उनके माध्यम से, हम महामहिम भूटान नरेश, वहां की सरकार और भूटान की मित्रवत जनता को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

10.08.2015

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: महासचिव महोदय।

महासचिव: श्री जॉर्ज बेकर।

श्री जॉर्ज बेकर (नामनिर्दिष्ट)	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी

....

10.08.2015

<u>पूर्वाह्न 11.03 ½ बजे</u>

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

10 अगस्त, 2015 को झारखंड में देवघर के एक मंदिर में हुई भगदड़ में 11 व्यक्तियों की कथित मृत्यु और कई व्यक्तियों के घायल होने के बारे में

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण**,** 10 अगस्त, 2015 को देवघर, झारखंड में एक मंदिर में भगदड़ के दौरान 11 व्यक्तियों के मरने और अन्य कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है।

यह सभा इस दुःखद दुर्घटना पर अपना दुःख व्यक्त करती है तथा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है और घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.04 ½ बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

....

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, बोलिए।

(अनुवाद)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, मैंने ललित मोदी गेट के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया है … (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष: क्रॉस मत करिए। आप अपनी बात कहिए।

… (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मोदी गेट और व्यापम के बारे में जो हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया था, उसमें बीच में श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो अपना वक्तव्य यहां पर दिया। जब किसी अपोजीशन के नेता भी यहां नहीं थे, अपोजीशन पार्टी के लोग भी नहीं थे, उसका उन्होंने उपयोग बोलिए या दुरूपयोग करके …(व्यवधान) सुनिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, डोंट डिस्टर्ब।

… (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने अपना एक लंबा भाषण यहां पर दिया। सिर्फ अपनी तरफ से वक्तव्य देने से यह मैटर समाप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने जो काम किया है और जो कदम उठाया है, वह देश के हित में नहीं उठाया है। क्योंकि एक जो भगोड़ा है, एक जो इकॉनामिक अफेंडर है …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, इस पर चर्चा करना हो तो ..

… (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसको मदद करने की सारी कोशिश की और जितने भी …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी हम यह चर्चा नहीं कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप फाइल निकालकर देखिए। ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: मैं इस पर विचार करूंगी।

… (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: पहले के चिदंबरम साहब के वक्त में क्या फाइल थी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है और यहां पर जो वक्तव्य हुआ है ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, चर्चा हो सकती है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: चर्चा तो हो सकती है, लेकिन आपके स्थगन प्रस्ताव पर नहीं। मैं इस पर चर्चा की अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आधिकार का दुरूपयोग करके यहां पर बात करने की कोशिश की, सफाई देने की कोशिश की, जो अच्छा नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उसकी चर्चा करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: खासकर उन्होंने जो सपोर्ट किया है, मानवीय आधार पर नहीं, ह्यूमैनेटेरियन ग्राउंड पर नहीं, उनके संबंध थे। यह कामर्शियल बोलिए ...(व्यवधान) या उनके संबंध थे, उसकी वजह से उन्होंने किया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: अब, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *[2]

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर चर्चा दे दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं उन्हें अपने स्थान पर बैठने के लिए कह रही हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है।

… (*व्यवधान*)

---

[2] * कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

<u>पूर्वाह्न 11.09 बजे</u>

इस समय, श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री एम. वीरप्पा मोइली, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री राजीव सातव, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी, श्री एम.बी. राजेश, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री निशिकांत दुबे, डॉ. ए. सम्पत और श्री भगवंत मान।

ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं परन्तु इन पर चर्चा किए जाने के लिए सभा के कार्य को रोका नहीं जा सकता है। सभा में विषयों को उठाने के लिए उपलब्ध अन्य साधनों के द्वारा भी इन्हें उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, मैं आपको अनुमति दूंगी लेकिन अभी नहीं। प्रश्नकाल के बाद, मैं आपको अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया इस तरह का व्यवहार मत कीजिए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 283.

रहने दीजिए।। अगर उन्हें यह उचित लगता है तो वे ऐसा करें लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।'

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं उनसे बार-बार आग्रह कर रही हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया सभा के बीचों-बीच न आएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया सदन में तख्तियां न लायें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया ऐसा न करें। मैं आपसे विनती कर रही हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। कृपया नियमों का पालन करें। मैं आपको प्रश्न काल के बाद चर्चा की अनुमति दूंगी। अब, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको भी प्रश्न काल के बाद बोलने की अनुमति दूंगी। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

10.08.2015

<u>पूर्वाह्न 11.11 बजे</u>

[3]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 283, श्री गोपाल शेट्टी।

(प्रश्न 283)

(हिन्दी)

श्री गोपाल शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2012, 2013, और 2014 के बारे में सवाल पूछा है।...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने सरकार के माध्यम से उत्तर दिया है। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि यह सरकारी आधिकारियों द्वारा दिया गया उत्तर है। ...(व्यवधान) सी.ए.जी. की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012, 2013, और 2014 में रेल प्रशसन को 23,643 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। ...(व्यवधान) रेल मंत्री के जो जवाबदार आधिकारी हैं उनके सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने के कारण यह घाटा हुआ है। ...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने ओवर ऑल उत्तर दिया है। ...(व्यवधान) यह कार्यपद्धति है, मैं यह मानता हूं, ...(व्यवधान) लेकिन मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे सम्माननीय मंत्री...(व्यवधान) हमें सी.ए.जी. ने जो रिपार्ट दी है ...(व्यवधान) वर्ष 2012, 2013, और 2014 में रेल प्रशासन को 23,643 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं कि जो हमारे प्राइवेट सैक्टर्स हैं। ...(व्यवधान) रिक्शा चलाने वाले प्रॉफिट करते हैं।...(व्यवधान) प्राइवेट बस चलाने वाले प्रॉफिट करते हैं।...(व्यवधान) मेट्रो रेल प्रॉफिट करता है।...(व्यवधान) मोनो रेल प्रॉफिट करता है।...(व्यवधान) हवाई जहाज वाले प्रॉफिट करते हैं। ...(व्यवधान) दूसरी तरफ हम देखते हैं कि

---

[3] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

उसमें बी.एस.टी. लॉस करता है।...(व्यवधान) उसमें एस.टी. लॉस करता है।...(व्यवधान) रेलवे में लॉस होता है।...(व्यवधान) हमारा एयर इंडिया में भी लॉस होता है।...(व्यवधान) गवर्नमेंट के हर सैक्टर्स में लॉस होता है।...(व्यवधान) प्राइवेट सैक्टर्स में सभी जगह पर प्रॉफिट होता है। ...(व्यवधान) इतना ही नहीं प्राइवेट सैक्टर्स में लोग प्रॉफिट करके गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं।...(व्यवधान) मैं एक बात को जानना चाहता हूं कि हम लोक सभा में देश के जनहित में बिल पारित करते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन वह राज्य सभा में पास नहीं होता है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी मुंबई में मेट्रो रेल के बारे में हमारे माननीय सांसद डॉ. किरीट सोमैया जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। ...(व्यवधान) मेट्रो रेल से संबंधित एफ.एफ.सी., जो फेयर फिक्सिंग कमेटी होती है...(व्यवधान) उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी.(व्यवधान) उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। ...(व्यवधान) एक जगह प्राइवेट सैक्टर में यह हालता है, और गवर्नमेन्ट सैक्टर में में पारित किया हुआ प्रस्ताव भी राज्य सभा में पारित नहीं होता है।...(व्यवधान) हम आने वाले दिनों में देश को कैसे आगे बढ़ायेंगे? ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गलत काम करते हैं...(व्यवधान) उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए।...(व्यवधान) जो सी.ए.जी. ने वर्ष 2012, 2013 और 2014 में रिपोर्ट दी है, ...(व्यवधान) देश को 23,643 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, ...(व्यवधान) सम्माननीय मंत्री जी एक उचित कमेटी गठित करते हुए ऐसे दोषी आधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : केवल प्रश्न पूछना चाहिए, भाषण नहीं देना चाहिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने मुख्यतः रेलवे की आमदनी के बारे में जानना चाहा है।...(व्यवधान) निश्चित रूप से पैसेंजर सेग्मेंट और सबअर्बन सैक्टर में भारतीय रेल को ज्यादा नुकसान है। ...(व्यवधान) गुड्स ट्रैफिक ही हमारी मूल आमदनी का स्त्रोत है।...(व्यवधान) मैं उनकी बात से सहमत हूं कि लोक सभा में बिल पारित होने के बाद, वह राज्य

सभा में रुक जाता है। ...(व्यवधान) यह देश और देश के आर्थिक विकास के लिए चिंता का विषय है।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि इस पर पूरा सदन विचार करेगा और देशवासी भी विचार करेंगे। ...(व्यवधान) पिछले 10-15 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, ...(व्यवधान) निश्चित रूप से यह यह देश के विकास में व्यवधान पैदा करने की एक साजिश है और उसकी जितनी निंदा की जाये, मैं समझता हूं कि वह कम है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने समिति की रिपोर्ट की बात कही है।...(व्यवधान) निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करके क्या कार्रवाई की जा सकती है...(व्यवधान) हम देखेंगे। ...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्ष महोदया, आजादी के 68 साल के बाद भी देश के सारे नागरिकों को आज भी रेल की सुविधा नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से संक्षेप में यह बात पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने कोंकण रेलवे बनायी।...(व्यवधान) आज कोंकण रेलवे अच्छी चल रही है। ...(व्यवधान) लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है।...(व्यवधान) क्या आने वाले दिनों में हम पी.पी.पी. मॉडल के माध्यम से देश में दूर रहने वाले लोगों को जो सुविधा चाहिए...(व्यवधान) सरकार आने वाले दिनों में पी.पी.पी. मॉडल को और ज्यादा महत्व देते हुए...(व्यवधान) देश के नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधा कम से कम दाम में दी जाये, क्या इस प्रकार की पहल सरकार करेगी?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, वर्तमान सरकार ने रेलवे के नेटवर्क के विस्तार के लिए पांच वर्ष का रोड मैप बनाया है। ...(व्यवधान) अगर मोटे तौर पर देखें तो आजादी के बाद पैसेंजर ट्रैफिक 17 गुना बढ़ गया और फ्रेट ट्रैफिक भी 8 गुना बढ़ गया, लेकिन हम रेलवे का इन्फ्रास्ट्रक्चर सवा दो गुना ही बढ़ा सके हैं। ...(व्यवधान) मुख्य कारण अंडर इन्वैस्टमैंट रहा है। आने वाले पांच वर्षों में साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये रेलवे के नेटवर्क के विस्तार के लिए सरकार खर्च करेगी, ऐसी एक योजना बनी है। ...(व्यवधान) पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भी भारतीय रेल में आधिक से आधिक निवेश हो, इसके लिए हम निश्चित रूप से ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि जो लोग निवेश

करना चाहते हैं, वे फ्रैंडली हों और उन्हें लगे कि इसमें हमारा भी हित है। ...(व्यवधान) पीपीपी मॉडल में आधिक से आधिक निवेश हो, इस दिशा में भारतीय रेल पूरी तरह नए-नए उपाय कर रही है।...(व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले रेल मंत्रालय, रेल राज्य मंत्री सिन्हा साहब, रेल मंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जिनके खिलाफ यहां नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे संवेदनशील मुख्य मंत्री माननीय शिवराज जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) पिछले दिनों मेरे इटारसी और खंडवा खंड में जो दुर्घटना हुई, वहां माननीय मुख्य मंत्री ने पानी में भीगते हुए रेल विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मरने वालों की और घायलों की सेवा की। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री और सुरेश प्रभु जी स्वयं वहां गए और लोगों की मदद की। ...(व्यवधान) मेरा मूल प्रश्न रेल के घाटे के संबंध में है। ...(व्यवधान) यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण रेल मंत्रालय को काफी घाटा हुआ। ...(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि पहले तीन जोन में सात दोरंतो गाड़ियां घाटे में चलती थीं। ...(व्यवधान) उनके स्टापेज न होने के कारण लगातार दोरंतो ट्रेनों को घाटे में चलाना पड़ता था। ...(व्यवधान) लेकिन हमारी सरकार ने आते ही उस नीति में परिवर्तन किया और दोरंतों गाड़ियों के स्टापेज कुछ बढ़ाए। ...(व्यवधान) वे घाटे से निकलकर लाभ की स्थिति में आईं। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि घाटे का जो ब्यौरा दिया गया है, उसमें कोचिंग सेवाओं पर हानि, उपनगरी यात्री यातायात, पार्सल, लगेज आदि पर 34 हजार करोड़ रुपये के आसपास का घाटा दिया गया है। ...(व्यवधान) सुविधा यात्रियों के आवागमन के लिए होती है। ...(व्यवधान) स्टापेज न देने के कारण कई बार हमारी ट्रेनों को घाटे में चलना पड़ता है। ...(व्यवधान) जो यात्री यात्रा के लिए स्टापेज की मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, वहां स्टापेज नहीं दिए जाते जिससे रेलवे को घाटा होता है। ...(व्यवधान) आने वाले समय में एक राज्य को दूसरे राज्यों से जोड़ने के लिए और यात्रियों को कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन न पकड़नी पड़े, कम दूरी पर स्टापेज देने के

लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो आग्रह किया जाता है, क्या मंत्रालय उस पर कोई विचार करेगा या मदद करेगा?...(व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि अभी जो दुर्घटना हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता से घायलों और पीड़ितों की मदद की, उसकी जितनी सराहना की जाए, वह कम है। ...(व्यवधान) मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं और जिस तत्परता से उन्होंने दुर्घटना स्थल पर व्यवस्था की, मै उसकी ह्रदय से सराहना करता हूं।...(व्यवधान)

दूसरी बात माननीय सदस्य ने स्टापेज के बारे में कही है। ...(व्यवधान) मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सरकार के आने से पहले सस्ती लोकप्रियता के कारण इसी सदन में पन्द्रह सौ से ज्यादा स्टापेज घोषित कर दिए गए थे। ...(व्यवधान) सरकार बनने के बाद बड़ी समस्या आई। जितने नए सदस्य आए थे, उन्हें सूचना मिलने लगी कि रेलवे स्टापेज विदड्रा कर रही है, तो उन्हें तीन-तीन महीने करके अभी तक कंटीन्यू किया गया है। ...(व्यवधान) किसी खास स्थान के बारे में अगर माननीय सदस्य सुझाव देंगे तो उस पर मंत्रालय विचार करेगा। ...(व्यवधान) लेकिन एक कठिनाई जरूर है कि मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों को अगर ज्यादा स्टापेज दिए जाएंगे तो ट्रेन की एवरेज स्पीड निश्चित रूप से कम हो जाएगी। ...(व्यवधान) आज मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों की एवरेज स्पीड 65-70 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। ...(व्यवधान) स्थिति वही है कि दिल्ली से चले और सराय रोहिल्ला में रुक कर चढ़ जाएं, लेकिन अगर ट्रेन हर स्टेशन पर रोकी जाएगी तो जिस व्यक्ति को चेन्नई जाना है उसकी क्या स्थिति होगी। ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि अगर इस संदर्भ में माननीय सदस्य का कोई सुझाव होगा तो वे दे दें, उस पर विचार किया जाएगा।...(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्रीमती वी. सत्यबामा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि ट्रेन संख्या 22476 कोयंबटूर-बीकानेर (साप्ताहिक) एक्सप्रेस जो कोयंबटूर के सलेम डिवीजन से शुरू होती है, इस रेल सेवा का लाभ तमिलनाडु के इरोड, तिरुपुर और सलेम जिलों के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को नहीं मिल पा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण रेलगाड़ी है जो देश के इस भाग को राजस्थान और गुजरात से जोड़ती है। कोंकण क्षेत्र *से होकर गुजरने वाली* यह रेलगाड़ी निश्चित रूप से प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या को भी सेवा प्रदान करेगी और इससे रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करती हूं कि प्रवासी मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और रेलवे के राजस्व में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, रेलगाड़ी संख्या 22476 को कोयंबटूर के बजाय इरोड या तिरुपुर या सलेम जिले से शुरू किया जाए। इसके अलावा, सप्ताह में एक दिन चलने वाली इस रेलगाड़ी को सप्ताह में दो दिन चलाया जाए ताकि यह रेलगाड़ी न केवल प्रवासियों की बड़ी संख्या को सेवा प्रदान कर सके बल्कि रेलवे के राजस्व को भी बढ़ा सके। … (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विशेष ट्रेन को कोयम्बटूर स्टेशन की बजाए दूसरे स्टेशन से चलाने का आग्रह किया है ...(व्यवधान) और सप्ताह में एक दिन चलने वाली ट्रेन का फेरा बढ़ाकर दो दिन करने का आग्रह किया है। ...(व्यवधान) इस पर मंत्रालय विचार करेगा और जैसी व्यवस्था होगी उसके बारे में माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा ...(व्यवधान)।

श्री दुष्यंत चौटाला : माननीय मंत्री ने जिस तरह से सदन के पटल पर जवाब रखा कि आज के दिन भी हर सेक्टर में लगभग क्रमशः 16%, 43% और 14% की मुनाफे में बढ़ोत्तरी हुई है ...(व्यवधान)। क्या कभी इंडियन रेलवे ने खाली पड़ी जमीन पर जहां पहले रेलवे की फैक्ट्रियां

चला करती थीं, ...(व्यवधान) उन जमीनों के खाली पड़े रहने के लॉस को इम्यूलेट किया है ...(व्यवधान) या आने वाले समय में ऐसे खाली पड़ी जमीन को पीपीपी मॉडल की तर्ज पर किसी और मिनिस्ट्री के साथ टाइ-अप करके रेलवे इसे उपयोग में लाएगी ...(व्यवधान)?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, रेलवे के बारे में बहुत भारी भ्रम है कि रेलवे की लगभग 84-85% जमीन रेलवे ट्रैक के अगल-बगल है, ...(व्यवधान) जब हम रेलवे का विस्तार करते हैं ...(व्यवधान) उस जमीन का उपयोग करते हैं। यह बात सही है कि देश के अनेक प्रमुख शहरों में अनेक स्थानों पर भारतीय रेल के पास जमीनें हैं जहां समय-समय पर कुछ न कुछ व्यावसायिक एस्टैब्लिशमेंट होती रहती है ...(व्यवधान। अभी कैबिनेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है ...(व्यवधान) ए1 कैटिगरी के 400 रेलवे स्टेशनों को व्यावसायिक रूप से डेवलप करने का फैसला किया है ...(व्यवधान)। स्टेशन के पास जो जमीन उपलब्ध है उसका व्यावसायिक यूटिलाइजेशन कैसे हो, आने वाले समय में इस बारे में हम निर्णय करने वाले हैं ...(व्यवधान)। रेलवे की जमीन का व्यावसायिक उपयोग कैसे हो इस पर मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है इस बारे में एक कार्ययोजना देश के सामने रखी जाएगी ...(व्यवधान)।

श्री विनोद कुमार सोनकर : महोदया, जब रेलवे को घाटा होता है ...(व्यवधान) तो कहा जाता है कि यात्री किराये की वजह से घाटा हो रहा है ...(व्यवधान) लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ट्रेनें टाइम से नहीं चलती हैं जब ट्रेनें टाइम से नहीं चलेंगी तो उनको पैंसेंजर्स भी नहीं मिलेंगे ...(व्यवधान) जिसके कारण भी रेलवे घाटे में चलती है ...(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यहां यह सब इस तरीके से चल रहा है, मैं आपको कैसे बोलने दूं। प्लेकार्ड लेकर मत आइए, कम से कम एक बात तो मानें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप हाऊस को आर्डर में लाइए।

माननीय अध्यक्ष: इसे ऑर्डर में कौन लाएगा? आपको लाना है, यह हाऊस सभी का है, मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, सभी लोग अपना प्लैकार्ड लेकर वापस अपनी सीट पर जाएं। **(अनुवाद)** यदि आप चर्चा की मांग करते हैं, तो चर्चा होगी। लेकिन यह सही तरीका नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं चर्चा की अनुमति दूंगी। **(हिन्दी)** खड़गे जी, आपके ही लोग वेल में हैं उन्हें आप वापस ले जाइए। हाऊस को डिसऑर्डर कौन कर रहा है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: विनोद कुमार जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि सदन चले, बहुत दिनों तक ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसा हुआ है कि अगर स्पीकर चाहे तो यह हंगामा बंद हो जाता है।...(व्यवधान) आप हम सबको बात करने के लिए बुला लीजिए, तो यह अभी बंद हो जायेगा। ...(व्यवधान) आप हमें बुलाती ही नहीं हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आप सबको बात करने के लिए बुलाया है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे और इधर के नेताओं को बुला लीजिए और उधर के नेताओं को भी बुला लीजिए। ...(व्यवधान) अभी बात हो जायेगी। ...(व्यवधान) आपकी यह जिम्मेदारी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सबसे पहले उनसे पूछें कि क्या वे तैयार हैं। मैं अभी हाउस एडजर्न करती हूं। अगर खड़गे जी मेरे चैम्बर में आने के लिए तैयार हैं तो मैं आप सबको बुला लूंगी, लेकिन आप उनसे अभी पूछिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी पार्टीज के लीडर्स की बैठक कर चुकी हूं। **(अनुवाद)** मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। कोई समस्या नहीं है। मैं सभा में भी चर्चा हेतु अनुमति दूंगी। इस तरफ से भी चर्चा के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। परन्तु ऐसी स्थिति में तो चर्चा नहीं हो सकती है।

... (व्यवधान)

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष: ऐसे कैसे चलेगा?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, आप पहले खड़गे जी से पूछिये? यदि वे मेरे चैम्बर में आकर चर्चा के लिए तैयार हैं तो मैं अभी हाउस एडजर्न करके बुला लूंगी।

... (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर: माननीय अध्यक्ष महोदया, रेल मंत्रालय लगातार घाटे में चल रहा है। ...(व्यवधान) इसके लिए यात्री गाड़ियों को जिम्मेदारी ठहराया जाता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री विनोद कुमार सोनकर: मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अगर यात्री गाड़ी घाटे में चल रही है तो उसका कारण गाड़ियों का विलंब से चलना है। ...(व्यवधान) इस विलंबता के कारण ट्रेन में जितने यात्री जाने चाहिए, उतने नहीं जा पाते। ...(व्यवधान) यात्री ट्रेन में नहीं जाते, जिसके कारण यात्री ट्रेन घाटे में चल रही है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता

हूं कि मेरे क्षेत्र में छोटे क्षेत्र हैं, जैसे कौशाम्बी में दो-तीन स्टेशन हैं। ...(व्यवधान) कानुपर से इलाहाबाद के लिए एक इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन चलती है, जो कभी टाइम से नहीं चलती। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

... (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर: मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ट्रेनें लेट चल रही हैं। ...(व्यवधान) मेरे क्षेत्र में इंटरसिटी कभी टाइम से नहीं चलती, जिस कारण यात्री नहीं मिल पाते। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ट्रेनें आठ-दस घंटे लेट चल रही हैं, उन ट्रेनों को टाइम से चलाने के लिए क्या उनके पास कोई योजना है?

दूसरा, जिन अधिकारियों की वजह से ये ट्रेनें लेट चलती हैं, क्या मंत्रालय ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कोई विचार कर रहा है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सोनकर जी, प्रश्न यह है कि रेलवे का रेवन्यू कैसे बढ़ेगा?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, तो ठीक है।

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, जहां तक ट्रेनों की पंक्चुएलिटी का सवाल है तो पहले से व्यवस्थित एक व्यवस्था रेलवे में है और जोनवाइज उसकी मौनीटरिंग प्रतिदिन होती है। ...(व्यवधान)

जिस क्षेत्र से माननीय सदस्य आते हैं, इलाहाबाद जोन में जरूर कुछ दिक्कते हैं, जिनके कारण हमारी उस क्षेत्र की गाड़ियों की पंक्चुएलिटी बहुत अच्छी नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) पिछले एक महीने में इलाहाबाद जोन में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ...(व्यवधान)

हम मेल और एक्सप्रैस ट्रेनों को बोर्ड स्तर से लगातार मौनीटर करते हैं और जिस विशेष ट्रेन की चर्चा उन्होंने की है, वहां के संबंधित आधिकारियों को यह निर्देश दिया जायेगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मूल प्रश्न यह है कि रेलवे का इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाये और उसमें यह सरकार लगी हुई है। ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

----

[4]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 284 से 302 अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450)

पूर्वाह्न 11.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

----

[4] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

10.08.2015

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

[**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय उपाध्यक्ष: पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री बंडारू दत्तात्रेय।

... (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 12.0 ½ बजे</u>

इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

... (*व्यवधान*)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी. वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 3014/16/15]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 525 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 526 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 527 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयीं, देखिए संख्या एल.टी 3015/16/15]

… (*व्यवधान*)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): मैं गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा गेल गैस लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी 3016/16/15]

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अपराह्न 12:30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न बारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

सभा पटल पर रखे गए पत्र...जारी

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3017/16/15]

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3018/16/15]

(तीन) डोन्यी पोलो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3019/16/15]

(चार) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3020/16/15]

(पाँच) पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3021/16/15]

(छह) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3022/16/15]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपरोक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 3023/16/15]

10.08.2015

(4) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपरोक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 3024/16/15]

(हिन्दी)

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): माननीय अध्यक्ष जी, खान और खनिज (विकास और नियमन) आधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

((1) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि.407 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 3025/16/15]

(2) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 जो 20 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 406 (अ) में प्रकाशित हए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 3026/16/15]

(3) खनिज (गैर-अपवर्जी सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति पत्र) नियम, 2015 जो 29 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 516 (अ) मे प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी 3027/16/15]

(4) 538 (अ) जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित कंपनियों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ आधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी 3028/16/15]

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री रवनीत सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

10.08.2015

अपराह्न 12.32 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

7वां प्रतिवेदन

(हिन्दी)

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा): अध्यक्ष जी, वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा) के आधार पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के संयुक्त उद्यम प्रचालन के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (15वीं लोक सभा) के 27वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न12.32 1/4 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

8वां प्रतिवेदन

(हिन्दी)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई, के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

....

10.08.2015

<u>अपराह्न12.32 1/2 बजे</u>

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति
5वां तथा छठा प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी (अनन्तपुर): मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में उसके पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(2)) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में उसके दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

10.08.2015

अपराह्न 12.32 3⁄4 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

8वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): मैं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में छठे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

10.08.2015

अपराह्न12.33 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(एक)16वें से 19वां प्रतिवेदन

(हिन्दी)

श्री रमेश बैस (रायपुर):मैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग) की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी अठारवां प्रतिवेदन।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(दो) वक्तव्य

श्री रमेश बैस: मैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2013-14) के बारे में 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 42वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय के जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों का कार्यकरण विषय पर 44वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न12.34 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[5*]

(अनुवाद)

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों

[5*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल.टी. 3029/16/15

(2014-15) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.34 ½ बजे

"विमानपत्तनों पर सुरक्षा में चूक" के बारे में दिनांक 28 जुलाई, 2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य*[6]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं 'विमानपत्तनों पर सुरक्षा में चूक' के बारे में श्री हंसराज गंगाराम अहीर, संसद सदस्य (अब रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री) द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के संबंध में 28 जुलाई, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

विमानपत्तनों पर सुरक्षा में चूक के बारे में माननीय संसद सदस्य, श्री हंसराज गंगाराम अहीर के द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के भाग (क) के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य, जिसका उत्तर 28.07.2014 को दिया गया था।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): महोदया, मैं 'विमानपत्तनों पर सुरक्षा में चूक' के बारे में 28 जुलाई, 2014 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के भाग (क) के उत्तर में पाई गई त्रुटि की शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

---

[6] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल.टी. 3030/16/15 ।

10.08.2015

उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) में, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा में चूक के कितने मामलों की सूचना दी गई थी, इसके बारे में जानकारी मांगी गई थी। उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के संबंध में दिए गए उत्तर में वर्ष 2011 और वर्ष 2012 के दौरान मुंबई क्षेत्र में रिपोर्ट की गई सुरक्षा में चूक की संख्या में एक तथ्यात्मक त्रुटि थी। इस बारे में तथ्य यह है कि वर्ष 2011 और वर्ष 2012 के दौरान मुंबई क्षेत्र में उल्लेखित क्रमशः छह और चार मामलों के बजाय वर्ष 2011 और वर्ष 2012 के दौरान मुंबई क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सुरक्षा में चूक के पांच मामले रिपोर्ट किए गए थे। इस अनजाने त्रुटि ने इस सुधार करने वाले कथन की आवश्यकता पैदा की है। तदनुसार, संसद में दिनांक 28.07.2014 को पूछे गए प्रश्न संख्या 2749 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक में आवश्यक शुद्धियों को शामिल करने के बाद संशोधित उत्तर की एक प्रति संलग्न की गई है।

त्रुटि के लिए खेद है।

माननीय संसद सदस्य, श्री हंसराज गंगाराम अहीर द्वारा 'विमानपत्तनों पर सुरक्षा में चूक' के बारे में लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के उत्तर के संदर्भ में विवरण, जिसका उत्तर 28.07.2014 को दिया गया था।

(क): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा विभिन्न विमानपत्तनों पर रिपोर्ट किए गए सुरक्षा में चूक के मामलों की संख्या अनुबंध में दी गई है।
(ख) और (ग): उचित सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा में चूक को संबंधित एजेंसियों के ध्यान में लाया गया था।

10.08.2015

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित सुरक्षा में चूक का विवरण

क्रम संख्या	विमानपत्तन क्षेत्र-वार	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014 (जून 2014 तक)
01	मुंबई	05	05	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त
02	दिल्ली	01	02	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	02
03	कोलकाता	03	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त
04	चेन्नई	07	01	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त
05	गुवाहटी	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	01	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त
06	अमृतसर	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	01	01	कोई नहीं/शून्य, रिक्त
07	हैदराबाद	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त
08	अहमदाबाद	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त	कोई नहीं/शून्य, रिक्त
	कुल	**16**	**10**	**01**	**02**
	कुल योग = **29**				

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: मद सं. 15 । श्री नितिन गडकरी - उपस्थित नहीं।

<u>अपराह्न 12.34 3⁄4 बजे</u>

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

(एक) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015[*7]

(हिन्दी)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ताओं के हितों के पर्याप्त संरक्षण के लिए और अनुचित व्यापारिक व्यवहार को प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और उचित प्रशासन के लिए अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के लिए तथा उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी समाधान के लिए उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "उपभोक्ताओं के हितों के पर्याप्त संरक्षण के लिए और अनुचित व्यापारिक व्यवहार को प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और उचित प्रशासन के लिए अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के लिए तथा उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी समाधान के लिए उपबंध करने के

---

[7]* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 10.08.2015 में प्रका शत ।

लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(हिन्दी)

श्री राम विलास पासवान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित*[8] भी करता हूं।

----

[8]* राष्ट्रपति की सफारिश से पुर:स्था पत ।

10.08.2015

अपराह्न 12.35 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

झारखंड के देवघर में हुई भगदड़ के कारण श्रद्धालुओं की कथित मृत्यु के बारे में **(हिन्दी)**

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष जी, एक अत्यंत ही दुखद घटना घटी है। श्रावण मेले में 11 मौतें हुई हैं और 100 लोग घायल हुए हैं। विश्व के अद्भुत राष्ट्रीय त्यौहार और मेले में बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। मैं मानता हूं कि झारखंड की राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है। यह विश्व का आद्वितीय पैदल यात्रा उत्तरायण गंगा सुल्तानगंज से लेकर जल भरते हुए मुंगेर और बांका वे इलाके से होते हुए, कटौरिया और चांद वेलहर से होते हुए लोग बाबाधाम देवघर आभिषेक करने जाते हैं। लेकिन सुरक्षा और संरक्षा की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं।

महोदया, मैं मांग करता हूं कि मरने वाले लोगों के परिवार वालों को दस-दस लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। ...(व्यवधान) घायलों के इलाज का प्रबंध किया जाए।...(व्यवधान) बांका संसदीय क्षेत्र में 90 किलोमीटर का यह इलाका कांवरिया का है और दस किलोमीटर देवघर झारखंड का पड़ता है। हम चार बार अपने इलाके में गए और सुरक्षा की व्यवस्था अपनी आंखों से देखी पूरा बांका जिला का प्रशासन को लेकर।...(व्यवधान) लेकिन देवघर में सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। इसमें राज्य सरकार विफल रही है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।...(व्यवधान) यह बहुत ही दुखद घटना घटी है।

मैं मांग करता हूं कि इस मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं आज स्वयं आहत हूं और सांसद होने के नाते मैं मानता हूं कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है।...(व्यवधान) मैं इस सिस्टम से लड़ते-लड़ते थक गया हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री जी काफी एक्टिव हैं।...(व्यवधान) माननीय गृह मंत्री जी का इस विषय में बयान आया है। आपने स्वयं विशेष रूप से इसका संज्ञान लिया है।...(व्यवधान) मैं स्पष्ट रूप से कुछ बातों पर आपसे भीख मांगता हूं और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वैष्णों देवी में, त्रिरुपति में और शिरडी में श्रद्धालु जाते हैं, उससे दुगुने श्रद्धालु देवघर में जाते हैं। देवघर चूंकि एक पिछड़ी जगह है, पिछड़े राज्य में है और सांसद के नाते मैं कैसे फेल हुआ, यह बताना चाहता हूं। जैसे नायडु जी यहां बैठे हैं, मैं लगातर चिट्ठी लिख रहा हूं कि हृदय का स्थान हो या प्रसाद हो या स्मार्ट सिटी का बजट हो, सबसे पहले देवघर को देखना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन में बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है।

... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैंने यह आग्रह बार-बार किया है लेकिन जब सांसद के नाते मैं यह बात कहता हूं कि तो लोगों को लगता है कि मैं ग्रिडी हूं।...(व्यवधान) मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2012 में 40 हजार कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए मैंने लड़ाई लड़कर काम्प्लैक्स पास कराया। वर्ष 2013 में इसका शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति जी ने कर दिया लेकिन आज तक इसकी एक ईंट नहीं रख पाया हूं, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी को मैं नहीं समझा पाया और सांसद के नाते मेरी जो भूमिका है, वह खत्म हो गई।...(व्यवधान) वर्ष 2012 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एयरपोर्ट का एमओयू हुआ। राज्य सरकार ने कहा कि 50 करोड़ रुपया हम देंगे और सारी जमीन फ्री ऑफ कास्ट देंगे। मैं इन सभी चीजों को लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल में हूं लेकिन लगातार मीटिंग करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।...(व्यवधान) जलगांव में एयरपोर्ट बन सकता है, भंडारा में एयरपोर्ट बन सकता है, जो यहां मंत्री बन सकते हैं, उनके यहां एयरपोर्ट बनने की सुविधा है लेकिन पांच करोड़ जहां चाहते हैं, वहां एयरपोर्ट नहीं बन सकता है।

इसी तरह से मैं यह बताना चाहता हूं कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जसीडीह रेलवे स्टेशन है, वहां पांच-पांच रेलवे लाइन जा रही हैं लेकिन उसके बायपास के लिए कुछ नहीं बना है।...(व्यवधान) मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से वहां एम्स के लिए कहना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि सारे राज्यों में एम्स बन गया। बिहार में दो एम्स बने हैं, यह कोई गलत बात नहीं है। जम्मू में दो एम्स बने हैं, यह भी ठीक है लेकिन झारखंड में एम्स बनाने के लिए लगातार राज्य सरकार कह रही है, देवघर में बनाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।...(व्यवधान) पूरी ब्यूरोक्रेसी नकारा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसे पिछड़े राज्यों में इस तरह के मेलों में जो श्रद्धालु आते हैं और उनको जो असुविधा होती है, इसे राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी. चौधरी और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोगों से मैं एक बार फिर आग्रह करती हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है क्योंकि 11 लोगों की मौत हुई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं। आप कृपया मंत्री जी की बात सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जयप्रकाश जी, आपके द्वारा उठाए गए विषय पर गृह मंत्री जी सदन में उत्तर दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री निशिकांत दुबे और श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी ने जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उस संबंध में मैं कहना चाहूँगा...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज सुनिए, यह ग्यारह लोगों की मौत का सवाल है।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: झारखण्ड के देवघर में घटी इस घटना के संबंध में जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, उस संबंध में मैंने झारखण्ड के मुख्यमंत्री से बात की है। ...(व्यवधान) मुख्यमंत्री ने जितने भी मृतकों के परिवार हैं, उनके लिए जहाँ दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया करायी है, ...(व्यवधान) वहीं पर जितने लोग घायल हुए हैं, उनके परिवारों को भी 50 हजार रुपये की धनराशि मुहैया करायी है और सभी के लिए मुफ्त इलाज़ की मुकम्मल व्यवस्था की गयी है। ...(व्यवधान)

पूरे श्रावण मास में दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ वहाँ पर मुहैया हो सकें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ...(व्यवधान) इसके लिए उन्होंने मुझसे फोर्स भी मांगा है और मैंने तुरंत आदेश किया है कि रैपिड ऐक्शन फोर्स की एक टुकड़ी देवघर के यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए मुहैया करायी जाए और वह फोर्स वहाँ पर भेजी जा चुकी है। ...(व्यवधान)

मैं सभी मृतक-परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद मानता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): माननीय अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान) जिस प्रकार से मेरे से पूर्व श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी और श्री निशिकांत दुबे जी ने देवघर, झारखण्ड की एक घटना को आपके बीच में लाए, इसी प्रकार से, हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के बेगोपुर गांव में परसों एक इल्लीगल क्रैशर की दीवार गिरने से 11 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गयी।

...(व्यवधान) हमने निरंतर इनवायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर से अपील की थी कि हरियाणा प्रदेश में माइनिंग के जो नॉर्म्स हैं, उनको इज-डाऊन करके रेगुलराइज़ किया जाए। ...(व्यवधान) मगर कांग्रेस शासन काल के 60 साल और भारतीय जनता पार्टी के नौ महीने के शासन में हमारे प्रदेश के सभी माइनों पर सरकार ने ताला लगाने का काम किया है, ...(व्यवधान) जिसके कारण 30,000 से ज्यादा युवा साथी बेरोजगार हो गये। इल्लीगल तरीके से क्रैशिंग ज़ोन चल रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं आज सदन से अपील करता हूँ कि जहाँ महेन्द्रगढ़ के बेगोपुर गांव में 11 लोगों की मौत हुई है, आज हमें बराबर रूप से उनकी ओर भी अपनी संवेदना दिखानी चाहिए। ...(व्यवधान) मैं माननीय इनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर से आग्रह करूँगा ...(व्यवधान) कि तुरंत प्रभाव से नॉर्म्स को इज-डाऊन करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं की ओर देखते हुए माइनिंग ज़ोन को दुबारा शुरू करवाकर प्रौपर नॉर्म्स के तहत उन क्रशिंग जोन्स को चलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, जिस तरह मेरे पूर्व सांसदों ने देवघर की घटना पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है, मैं उनके साथ अपने विचार साझे करता हूं।...(व्यवधान)

प्रसन्नता इस बात की है कि गृह मंत्री जी ने साथ ही साथ उस बात पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और अपना वक्तव्य भी दिया है। जब कश्मीर में आपदा आई और आन्ध्र प्रदेश में हुदहुद की घटना पिछले वर्ष हुई, तब भी केन्द्र की सरकार ने वहां अपनी ओर से पर्याप्त सुविधाएं दीं और सहायता भी उपलब्ध करवाई, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है, न प्रदेश सरकार उसकी ओर ध्यान देती है और केन्द्र का भी ज्यादा ध्यान होना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आठ अगस्त को मेरे लोक सभा क्षेत्र के धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पानी का स्तर बढ़ा, जिससे धर्मपुर बाजार की 200 से आधिक दुकानों को नुकसान हुआ, उसमें बसें बहकर चली गयीं, घर उसमें दब गए, लगभग 75 घरों को सीधे तौर पर नुकसान हुआ, तीन लोगों की मृत्यू हो गयी, दो दिन लगाने के बाद अब जाकर उनकी लाशें

पूरी तरह से निकल पाई हैं। ऐसी घटना पिछले साल 15 अगस्त को भी हुई थी। 15 अगस्त की घटना में 16 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल वहां अगले दिन पहुंच गए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री एक महीने बाद वहां पर आए। एक महीने आने के बाद भी तीन बिस्वा जमीन देने की बात कह कर गए, एक साल हो गया, उन 75 परिवारों के लोगों को तब से आज तक न वह तीन बिस्वा जमीन मिली है, न राहत मिली है। केन्द्र सरकार से मिले हुए 63 करोड़ रुपये आज तक वहां बंट नहीं पाए हैं, वहां उन लोगों को फिर से घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिला है। जिन लोगों को जान-माल का नुकसान हुआ।...(व्यवधान) लगभग 500 पशुशाला बहकर चली गयीं, घर लोगों के पास नहीं है,...(व्यवधान) लोग एक साल से वहां इंतजार कर रहे हैं। इस बार की बारिश ने भी वही हालात पैदा कर दिए, एक ही परिवार के तीन लोग मर गए।...(व्यवधान) प्रदेश की सरकार चुप बैठी है, वहां सहायता नहीं मिलती है, सड़कें कट गयी हैं।...(व्यवधान) मैं कल जा रहा था, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। बिजली में गांव डूबे हुए हैं, सड़कें खत्म हो गयी हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार के मृतक को पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएं और रोड नेटवर्क को बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये केन्द्र सरकार की ओर से दिए जाएं।...(व्यवधान) पानी के बिना कोई नहीं जी सकता है, इसलिए तीन करोड़ रुपये उसके लिए मिलें और उन लोगों को घर बनाने के लिए पांच-पांच लाख रुपये की सहायता दी जाए ताकि पिछली बार की तरह जो लोग बेघर हो गए, हम सबके रहते हुए वे लोग बेघर न हों। एक ओर हम आदर्श ग्राम बनाने की बात करते हैं, लेकिन पिछली बार जिनके घर डूब गए, जो मर गए, उन गांवों का क्या होगा, वे आदर्श कब बनेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से इस गांव को, आप सभी की सहायता से आदर्श गांव बनाकर वापस स्थापित करने का प्रयास करें। माननीय गृह मंत्री जी चले गए, काश, वे इस पर भी अपना बयान देते तो मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन सहायता भी दें और प्रदेश सरकार को कहें कि धर्मपुर की इन पांच पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देकर जल्द से जल्द सहायता मुहैया करवाई जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री सुधीर गुप्ता एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बाकी शून्यकाल दो बजे लिया जाएगा।

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.46 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

10.08.2015

<u>अपराह्न 2.01 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: अब सभा में 'शून्यकाल' के दौरान मामले उठाए जाएंगे।

<u>अपराह्न 02.01 बजे</u>

इस समय, श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्याूट की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां के कुलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हैं और एसजीपीआई के डायरेक्टर की पोस्टिंग की अथोरिटी भी हैं। इस संस्थान में डाक्टर्स के कई पद रिक्त हैं, जिनकी वजह से मरीजों का अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अब यह संस्थान आ गया है इसलिए लोकल राजनीति के चक्कर में फंस कर इस संस्थान में डाक्टर्स के पद रिक्त पड़े हैं और उन्हें भरा नहीं जा रहा है। पूरे देश के अंदर कई ऐसे संस्थान हैं, जहां अच्छे डाक्टर्स की जरूरत है, अतः मेरी मांग है कि वहां जल्द से जल्द डाक्टर्स की पोस्ट्स को भरा जाए, जिससे लोगों का इलाज हो सके।

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कौशल किशोर द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

10.08.2015

(हिन्दी)

श्री चंदूलाल साहू (महासमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा शून्य काल में विषय केन्द्रीय विद्यालयों के सम्बन्ध में है। केन्द्रीय विद्यालयों में परीक्षा के आखिरी वक्त सिर्फ 40-40 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। मेरी मांग है कि इन सीट्स को बढ़ाया जाए। मेरे क्षेत्र में एक नए जिले गरियाबन्द का निर्माण हुआ है। वहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए। साथ ही साथ सरायपाली, चूंकि महासमन्द एक बड़ा जिला है, वहां पर भी एक केन्द्रीय विद्यालय की बहुप्रतीक्षित मांग है, अतः उसे भी स्वीकृति दी जाए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सावन के महीने में हिन्दू कांवड़ियों के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने, डी.जे. और लाउडस्पीकर बजाने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, सावन का महीना शिव से साक्षात का महीना होता है। हिन्दू श्रद्धालुजन करोड़ों की संख्या में विभिन्न पवित्र नदियों से जल लेकर ज्योतिर्लिंगों में जल छोड़ते हैं और अपनी आध्यात्मिक पासा को शांत करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी शिव कांवड़ियों के जुलूसों को प्रतिबंधित करते हुए, उनके डी.जी. और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, आपितु जहां भी लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शित किया है, प्रदेश सरकार और उसकी पुलिस द्वारा बेरहमी के साथ उन पर लाठी चार्ज करके उनकी धार्मिक भावनाओं का हनन भी किया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मामले में हस्तक्षेप करके शिव कांवड़ियों के जुलूस में डी.जे. बजाने और उनके धार्मिक आधिकारों को सुरक्षित रखवाने, वे आध्यात्मिक रूप से जिस भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका सम्मान करने का कष्ट करे।

10.08.2015

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री देवजी एम. पटेल, श्री सुधीर गुप्ता और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अत्यंत दुख के साथ आज फिर एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों का मुद्दा उठा रहा हूँ। एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों, जो दूरसंचार विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं, को एम.टी.एन.एल. में समाहित कर लिया गया था और उन्हें सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता था। वर्ष 2007 से उन्हें संशोधित पेंशन देने पर सहमति बनी थी। वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक संशोधित पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2012 से संशोधित पेंशन का भुगतान किया था। अब वे वर्ष 2007 से पेंशन के बकाये की मांग कर रहे हैं। अब बकाये को आहरित करना है और उसका उन्हें भुगतान किया जाना है। दूरसंचार विभाग इस पर सहमत है लेकिन इसका भुगतान नहीं कर रहा है। इसलिए, वे प्रधान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रिंसिपल सी.ए.टी.) में चले गए हैं।… (*व्यवधान*) प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रिंसिपल सी.ए.टी.) ने अपना निर्णय देते हुए विभाग को दो माह के भीतर, फरवरी के महीने में, इसका तत्काल भुगतान करने का निदेश दिया है। आज तक, इसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते के मामले में, 78.2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ संशोधित वेतन का भुगतान किया जाना था। लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2009 में एक आदेश जारी किया था ... (*व्यवधान*) उनसे इसे लागू करने का अनुरोध किया गया था। परंतु इसे लागू नहीं किया गया था। वर्ष 2013 में, बी.एस.एन.एल. ने इसे लागू किया था और अपने कर्मचारियों को 78.2 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया था, जबकि एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं दिया गया था।

इस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया था... (*व्यवधान*) इस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया अभी भी जारी है।

इसलिए, आज 'शून्यकाल' में महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें संशोधित वेतन में 78.2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ-साथ पेंशन की बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमती वी. सत्यबामा को बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों को बकाये के साथ पेंशन और महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में आज 'शून्य काल' के दौरान श्री अरविन्द सावंत द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय - उपस्थित नहीं ।

प्रो. सौगत राय बोलेंगे ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, सभा व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं 'शून्यकाल' के दौरान अपना मामला नहीं उठाऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. किरिट पी सोलंकी - उपस्थित नहीं हैं।

श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा बोलेंगे ।

श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र कोप्पल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि कर्नाटक का एक हिस्सा है… (*व्यवधान*)

मैं अपने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में एक एफएम रेडियो स्टेशन खोले जाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि एक स्टेशन बेल्लारी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के मुख्यालय होसपेट में स्थित है, जो कि कर्नाटक का हिस्सा है। कोप्पल से इसकी दूरी लगभग 60 कि.मी. है। इसकी क्षमता 5x2 मेगावाट और 100 प्रतिशत मेगा ऑवर्स है। यह स्टेशन के चारों ओर केवल 50 किलोमीटर की दूरी तक ही इसका प्रसारण सुना जा सकता है… (*व्यवधान*) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

रायचूर और कोप्पल के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, जबकि सिंधनूर से कोप्पल, सिंधनूर से रायचूर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है।... (*व्यवधान*) इसलिए, सिंधनूर दोनों जिलों के बीच का मध्य बिंदु हो सकता है।

एफ.एम. रेडियो स्टेशन नहीं होने के कारण, कोप्पल जिले के लोग आकाशवाणी के अच्छे कार्यक्रम सुनने से वंचित हो रहे हैं। आजकल, हमारी सरकार द्वारा कई नए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जो किसानों के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम "*मन की बात*" को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग नहीं सुन पा रहे हैं और हाल ही में शुरू किए गए अन्य उपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण को कोप्पल के साथ-साथ सिंधनूर की जनता भी सुनना चाहती है... (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें और कृपया जल्द से जल्द कोप्पल और सिंधनूर में एक नया एफ.एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी - उपस्थित नहीं।

श्री पी.पी. चौधरी बोलेंगे।

(हिन्दी)

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व में दूसरा सबसे आधिक जनसंख्या वाला देश है। स्वाभाविक है कि देश के न्यायालयों में करोड़ों की संख्या में मामले होंगे और रोज लाखों मामले आएंगे भी। वर्तमान में कुल लम्बित प्रकरणों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख है, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 2 करोड़ 80 लाख तथा उच्च न्यायालयों में 44 लाख प्रकरण विचाराधीन हैं। गम्भीर प्रश्न यह है कि इन मामलों के शीघ्र निबटारे के लिए हम क्या कर रहे हैं? वर्तमान में न्यायालयों में न केवल वादों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि नये-नये प्रकार के वाद भी सामने आ

रहे हैं। देश में आर्थिक अपराधों के साथ-साथ साइबर क्राइम, महिला अपराधों तथा विशेष विषय प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विषय विशेषज्ञता के अभाव में न केवल केस लम्बे समय तक चलता है, वहीं गुणवत्तापूर्ण फैसला भी नहीं आ पाता है। हमारी न्याय व्यवस्था में प्रोफेशनलिज्म की भारी कमी है। आज चिकित्सा और आभियांत्रिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमें जब आंख का इलाज कराना होता है तो हम आई-स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हृदय संबंधी रोग होने पर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। लेकिन हमारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि मेडिकल से संबंधित कोई प्रकरण कोर्ट में जाता है तो जज और वकील दोनों को बहुत अध्ययन करना पड़ता है। जिसमें समय और गुणवत्ता दोनों ही के ऊपर असर पड़ता है।

अतः मेरा संसद के माध्यम से माननीय कानून मंत्री जी से अनुरोध है कि अन्य विशेष प्रकार के अपराधों व प्रकरणों की सुनवाई के लिए विषय विशेष कोर्टों, विशेषज्ञ सरकारी वकील व विशेषज्ञ कोर्ट स्टाफ की भी भर्ती की जाए तथा उन्हें समय-समय पर उचित ट्रेनिंग दी जाए, इससे न केवल प्रकरणों की फैसला जल्दी होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण न्याय मिलना भी आसान हो जायेगा। इसकी शुरूआत देश के सभी न्यायालयों में सिविल, क्रिमिनल व कमर्शियल कोर्ट की स्थापना के माध्यम से की जा सकती है। धन्यवाद।

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री पी.पी. चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज पूरे देश भर में गौवंश हत्या बंदी और गौवंश संवर्धन के लिए आवाज उठ रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि पूर्ण रूप से गौवंश पर आधारित थी। परंतु समय के साथ-साथ रसायनों और कृषि यंत्रों ने इसका स्थान ले लिया,

10.08.2015

जिससे हमारा समाज और गौवंश पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। रसायनों के उपयोग से भोज्य पदार्थ जहरीले हो गये और आधिक वाहनों के कारण हमारा वातावरण दूषित हो गया है।

गौवंश की उपयोगिता के रूप में दुग्ध और दुग्ध पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए अमृत हैं। गौमाता केवल पौराणिक आधार पर ही पूजनीय नहीं है, आपितु इसकी उपयोगिता परिवार समाज और राष्ट्र के लिए भी आद्वितीय है। गौवंश, वास्तव में चलती-फिरती रसायनशाला है। जो घास-फूंस और हरियाली ग्रहण करके उसके बदले में गोबर और गौमूत्र प्रदान करती है, जो फसलों के लिए भगवान का वरदान है। साथ ही बैलों की उपयोगिता से कृषि में महंगे डीजल, पैट्रोल की लागत को शून्य किया जा सकता है तथा वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। रासायनिक खेती में पानी आधिक मात्रा में खर्च होता है। लागत आधिक आती है और पानी के स्रोत में भी गिरावट आती है। जबकि गोबर की खाद से खेती करने पर उत्पादन बढ़ता है तथा कृषि लागत कम होती है और किसान की आय में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही साथ गौ के अपशिष्ट पदार्थों से कीटनाशक खाद, दवाइयां आदि निर्मित करने से मानव जाति को फायदा तो होता ही है साथ ही साथ हजारों हाथों को रोजगार भी मिलता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मात्र गौमूत्र से ही 100 से ज्यादा रोगों का इलाज संभव है। इसलिए इसे पांच से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए ठोस और कारगर नियम बनाये, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय प्रतीक मानते हुए इनकी सुरक्षा की जाए तथा गौशालाओं का निर्माण करके इनके वंश में वृद्धि करने के लिए सार्थक नियम बनायें जाएं। धन्यवाद।

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुमेधानन्द सरस्वती, कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल, श्री पी.पी.चौधरी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री देवजी एम. पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और रामसिंह राठवा को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

(हिन्दी)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, सर्वप्रथम देवघर की जो घटना घटी है, मृत आत्माओं की शांति के लिए मैं हृदय से बहुत दुखी हूं और माननीय सदस्य, श्री निशिकान्त दुबे जी ने जो विषय सदन में रखा है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

घटवार जाति मूल रूप से झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में रहती है, जिसका आति प्राचीन इतिहास है और पूर्व से ही इनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुसार छोटा नागपुर में सर्वे सैटलमैन्ट ऑफिसर और कालान्तर में बिहार के महामहिम राज्यपाल ने हजारीबाग जिला के अंतिम सर्वे सैटलमैन्ट रिपोर्ट (1908-15) में आरंभिक ब्रिटिशकाल के प्रशासक कैप्टन ब्राउन (1788) का समर्थन किया है। लगभग एक शताब्दी पूर्व भी घटवारों की आदिम जाति तथा इस क्षेत्र के (झारखंड) के प्राचीनतम वासियों के वंशज माना गया। उक्त अंतिम सर्वे सैटलमैन्ट रिपोर्ट के पश्चात आज तक इनके संबंध में कोई नवीन सर्वे नहीं हुआ। 12 अक्टूबर, 1938 को बिहार के गवर्नर की विज्ञप्ति के द्वारा घटवार को आदिमजाति (सब-ओरिजिनल कास्ट) में रखा गया और विधिक आभिरक्षा प्रदान की गई। परंतु अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश बाद में आधिनियम 1956 में घटवार जाति को पिछड़ी जाति एनेक्सर 2 के अंतर्गत शामिल करने से इनकी स्थिति दयनीय होने लगी। 1989 में एक सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि घटवार जाति 93 प्रतिशत आशिक्षित है, जो अन्न के विवश है।

अतः सरकार उपर्युक्त तथ्यों की जांच सुनिश्चित कर घटवार जाति को पुनः आदिम जाति में शामिल करने की कृपा करे। धन्यवाद।

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री निशिकान्त दुबे को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

(हिन्दी)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बिजावर और बाजना मार्ग से नया खेड़ा गांव के लिए एक सड़क बननी थी, लेकिन वहां पर खनिज विभाग की दो माइंस पिपरिया और पंछी, गौरापत्थर की माइंस हैं, क्योंकि माइंस ताकतवर लोगों के पास होती हैं उस कारण से कोई भी ठेकेदार उस सड़क को बनाने के लिए तैयार नहीं है। इससे आठ गांवों के लोग प्रभावित हैं। यह समस्या न केवल मेरे ही क्षेत्र में है, बल्कि कई क्षेत्रों में व्याप्त है। ...(व्यवधान) चूंकि यह बुंदेलखण्ड का क्षेत्र है, जो अत्यंत पिछड़ा है। ...(व्यवधान) जहां पर भी रेत की माइंस हैं या ऐसी माइंस हैं, उस कारण से बनी हुई प्रधान मंत्री सड़क योजना की सड़कें टूट जाती हैं। ...(व्यवधान) हमारे यहां तो कोई ठेकेदार इसका ठेका लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ...(व्यवधान) वह आठों गांव आज भी सड़क से वंचित हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री सड़क योजना की या तो गुणवत्ता बढ़ाएं या तो कोई अन्य व्यवस्था करें ताकि गांव इसकी सजा न भुगतें या फिर माइनिंग वाले लोगों से उसका पैसा लेकर उस सड़क को निर्माण का काम करवाना चाहिए। ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता को श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

(हिन्दी)

श्री भरत सिंह (बलिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बलिया में घाररा नदी से अठगावां गांव का आधा गांव नदी में विलीन हो गया है और हज़ारों लोग सड़क पर पड़े हुए हैं। ...(व्यवधान) बहुत ही गरीब और निरीह लोग बहुत ही अमानवीय स्थिति में हैं। ...(व्यवधान) जहां बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ...(व्यवधान) दो-दो किलोमीटर चल कर पीने का पानी लाना पड़ता है। ...(व्यवधान) उनको बसाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुनर्वास के लिए कुछ भी नहीं किया है। ...(व्यवधान) उनको मुआवज़ा भी नहीं दिया गया। ...(व्यवधान) महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूँ प्रदेश सरकार को उनके पुनर्वास के लिए निर्देश दिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से आवारा कुत्ते सारे देश में काफी बढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान) लगातार उनका अटैक लोगों और खास कर बच्चों पर बढ़ता जा रहा है। ...(व्यवधान) दिल्ली में, जहां तीन लाख आवारा कुत्ते हैं, पिछले दिनों एक बच्चे को कुत्तों की पूरी फौज ने नोंच डाला। ...(व्यवधान) सारे देश में इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ...(व्यवधान) इसी तरह शिमला की मॉल रोड़ पर 50 लोगों को एक पागल कुत्ते ने काट दिया है। ...(व्यवधान) प्रश्न यह है कि उन कुत्तों को, जो पागल हो गए हैं, लोकल म्युनिसिपैलिटीज़ या पंचायतों को कोई आधिकार नहीं है कि इस प्रकार के आवारा जानवरों को मारा जा सके। ...(व्यवधान) इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन और वैलफेयर एक्ट है, उसमें चेंजिस लाए जाएं। ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

10.08.2015

अपराह्न 02.18 बजे

सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित - जारी

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015*[9]

(अनुवाद)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नितिन गडकरी जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

---

[9] *भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, दिनांक 10.08.2015 में प्रकाशित ।

(अनुवाद)

श्री आर.पी. मरुदराजा (पेरम्बलुर): उपाध्यक्ष महोदय, अपने निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पेरम्बलुर जिला एक पिछड़ा जिला है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, छह विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों में से, पेरम्बलूर का केवल एक विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र मेरे जिले में आता है। थुरैयुर, मुसिरी, मन्नाचनाल्लूर और लालगुडी के चार विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र त्रिची जिले के अंतर्गत आते हैं और कुलिथलाई विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र करूर जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, चार विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र पेरम्बलुर से 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। यह दु:ख की बात है कि इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पेरम्बलुर में केवल एक केन्द्रीय विद्यालय है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अपने बच्चों को पेरम्बलुर के विद्यालयों में प्रवेश दिलाना बड़ा ही कठिन कार्य है। केवल ये कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम जनता भी काफी परेशानी का सामना कर रही है। इस मुद्दे को प्रभावित अभिभावकों ने कई बार उठाया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए, प्राइवेट स्कूल अत्यधिक फीस वसूल रहे हैं जिसके कारण निम्न और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाने में असमर्थ हैं।... (*व्यवधान*)

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह निर्वाचन-क्षेत्र के मध्य भाग, यानि त्रिची जिले के टोल गेट नंबर 1 के समीप एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे ताकि सभी पाँच विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और आम जनता लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): महोदय, इस देश में नशे के कारण जो समस्या खड़ी है, आज उस विषय को उठाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।...(व्यवधान) जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर नशे के कारण से स्थिति यह बन गई है कि देश में 75 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें परिवार का कम से कम एक सदस्य नशा करता है।...(व्यवधान)

महोदय, पिछले 10 वर्षों में भारत में 25,426 लोग नशे की लत के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। एक वर्ष में आत्महत्या करने वालों की संख्या 2542 है अर्थात प्रतिदिन 7 लोग नशे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।...(व्यवधान) देश के अंदर 20 लाख लोग ऐसे हैं जो अफीम का प्रयोग करते हैं।...(व्यवधान) लगभग सात करोड़ की संख्या अलग-अलग प्रकार के नशों का सेवन करने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो गई है।...(व्यवधान) 15 लाख लोग प्रतिवर्ष कैंसर की बीमारी से इसलिए मर रहे हैं, क्योंकि वे तंबाकू आदि का सेवन करते हैं।...(व्यवधान)

महोदय, हमारा देश माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में नंबर एक बनने की ओर अग्रसर है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो, बेरोजगारी मुक्त हो, आशिक्षा से मुक्त हो, तमाम प्रकार के जो संकट हैं, उन संकटों से मुक्त होना चाहिए।...(व्यवधान) इसलिए मैं आज सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि इस देश को जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बीमारी, गरीबी आदि से मुक्त कराने के लिए आभियान चलाया गया है, उसी प्रकार से देश को नशे से मुक्त करने के लिए भी आभियान चलाया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी. चौधरी, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

… (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मावल और करजत ताल्लुका में लगभग दो साल पहले रिलायंस कंपनी ने गैस पाइप लाइन डालने का काम किया है।...(व्यवधान) इस काम के लिए स्थानीय किसानों की लगभग तीस मीटर जमीन आधिग्रहित की गई थी।...(व्यवधान) वर्तमान में इसी जमीन से लगकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को गैस पाइप लाइन डालने की मंजूरी भारत सरकार ने दी है।...(व्यवधान)

स्थानीय किसान इसका विरोध कर रहे हैं। रिलायंस कंपनी ने जो गैप पाइप लाइन डाली है, उससे लगकर अगर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की गैस पाइप लाइन डाली जाती है तो किसानों को नुकसान नहीं होगा और किसान इसका विरोध नहीं करेंगे।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि रिलायंस कंपनी ने जो गैस पाइप लाइन डाली है उससे लगकर ही हिन्दुस्तान पेट्रोलियम गैस पाइप लाइन लगाए, जिससे किसानों की भूमि का आधिग्रहण न हो और किसानों की भूमि का नुकसान न हो। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री मल्लिकार्जुन खड़गे।

… (*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, पहले इन्हें सीटों पर जाने के लिए कहिए।...(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे सभी सदस्यों को नियम 374क के अधीन यह कहकर निलंबित कर दिया गया कि वे अव्यवस्था फैला

रहे हैं। … (*व्यवधान*) सभा में व्यवस्था नहीं है। सदन के बीचोबीच आकर तख्ती दिखाना नियम विरुद्ध है.... (*व्यवधान*) परन्तु, नियम यह भी कहते हैं कि जब सभा व्यवस्था नहीं होगी तो किसी भी प्रकार के कार्य का संचालन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों की अनुमति कैसे दे रहे है? … (*व्यवधान*) जब हम सदन के बीचों-बीच आते हैं, तो हमें निलंबित कर दिया जाता है।… (*व्यवधान*) जब वे अपनी बात रख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यह नियम अनुसार है। (*व्यवधान*) हमारे लिए अलग नियम लागू किए जाते हैं और उनके लिए अलग नियम लागू किए जाते हैं… (*व्यवधान*) इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि चूंकि सभा में व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप कृपया सभा को स्थगित कर दें या कार्यवाही को निलंबित कर दें … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: खड़गे जी, सभा में व्यवस्था न होने के बावजूद मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आपके दल के लोग सदन के बीचों बीच खड़े हैं। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी होगी।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा बोलेंगे।

(हिन्दी)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ। आज सुबह भाखड़ा डैम के फ्लडगेट्स खोल दिए गए हैं। फ्लडगेट्स खोलने से मेरी कांस्टीट्युएंसी श्री आनन्दपुर साहब के बहुत सारे गाँवों में पानी आ गया, मकान गिर गए, फसलें खत्म हो गईं, सड़कें टूट गई हैं। ...(व्यवधान) माननीय डिप्टी स्पीकर साहब पहले स्वां नदी का पानी हिमाचल से आ रहा था। हिमाचल वालों ने स्वां नदी को चैनलाइज़ करके 50 हज़ार क्यूसैक पानी हिमाचल प्रदेश से पिछले कई रोज़ से आ रहा था। आज 10 हज़ार क्यूसैक पानी भाखड़ा का आने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भयंकर स्थिति बनी हुई है। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सतीश चंद्र दुबे।

... (व्यवधान)

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): महोदय, यह देश किसानों का है। दुर्भाग्यवश इस देश में अगर किसी की स्थिति दयनीय है तो वह निस्संदेह किसान है। मैं किसानों से संबंधित आति महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहार में अभी तक एफ.सी.आई. और पैट्स के द्वारा गेहूँ और धान की खरीदी कर तो ली गई लेकिन इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस मौसम में धान की फसल में यूरिया देना अति आवश्यक है लेकिन बाज़ार में यूरिया उपलब्ध नहीं है। वहीं दलाल खुलेआम 450 रुपये से 500 रुपये बोरी बेच रहे हैं और उसी यूरिया को किसान खरीदने को मजबूर है। ...(व्यवधान) सैकड़ों किसानों के गेहूँ का अनुदान भी प्राप्त नहीं हो पाया है। इन तमाम परेशानियों के कारण किसान उग्र हैं और किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार में सूखा पड़ा हुआ है और उसे सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों की गन्ना की पेमेन्ट दी जाए। किसान अभी तक गन्ना की पेमेन्ट से वंचित है। उनके लिए तमाम व्यवस्था की जाए।

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): महोदय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ... (*व्यवधान*) हम सभी अलग-अलग तरीकों से अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करते हैं लेकिन हममें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आते हैं। ... (*व्यवधान*) वे अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान मृत्यु और विकलांगता का सामना करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हमारी सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक शत्रुओं का सामना करते समय अपनी बहादुरी और आपदा के समय अपने अदम्य साहस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ... (*व्यवधान*) इसके बावजूद भी आज हमारे जवानों को, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, अपने अधिकारों के लिए अनुनय विनय करना पड़ रहा है। ... (*व्यवधान*)

एक सैन्य अधिकारी की बेटी और एक सैन्य अधिकारी की पोती के रूप में, आज मुझे यह देखकर बहुत दु:ख होता है कि पूर्व सैनिक सड़कों पर हैं और अपने हक के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। ... (*व्यवधान*)

महोदय, वन रैंक वन पेंशन किसी सब्सिडी या कर कटौती की मांग नहीं है, यह हमारे सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए समान पेंशन को पाने का अधिकार है। ... (*व्यवधान*) आज, एक मेजर जनरल, जो वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें वर्ष 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट कर्नल की तुलना में कम पेंशन मिलती है। (*व्यवधान*) लेकिन वन रैंक वन पेंशन सिर्फ अधिकारियों के लिए, निचली रैंक पर रिटायर हुए हमारे जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए सम्मान, गौरव और पदक्रम का प्रश्न नहीं है बल्कि ये उनके अस्तित्व का प्रश्न है। ... (*व्यवधान*) जहां सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन की गणना अभी उनके अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत पर की जाती है, वहीं उनके परिजनों के लिए सामान्य पारिवारिक पेंशन उनके अंतिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत पर प्रदान की जाती है। ... (*व्यवधान*) युद्ध के कारण हुई विधवाओं, जिनमें से कई को उनको मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं, वे गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहीं हैं। हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को दिया जाने वाला शिक्षा अनुदान मात्र 1,000 रुपये प्रति माह है। ... (*व्यवधान*) अधिकारी यह सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। ... (*व्यवधान*) उनकी यह मांग है कि अगर यह पहले जवानों और युद्ध के कारण हुई विधवाओं को दिया जाए तो यह अधिक न्यायपूर्ण होगा। ... (*व्यवधान*)

महोदय, हमारे पास अपने पड़ोसियों के विपरीत एक बहुत ही अनुशासित सेना है, जिनकी सेनाएं अपने ही देश पर कब्ज़ा कर लेती हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि कृपया वन रैंक वन पेंशन लागू करें। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी. चौधरी, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. प्रीतम

गोपीनाथ मुंडे, श्रीमती रक्षाताई खाडसे, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री दुष्यंत चौटाला, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री शिवकुमार उदासि को श्रीमती किरण खेर द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

… (*व्यवधान*)

श्री ए. अरुणमणिदेवन (कुड्डालोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में श्रमिक संघों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। … (*व्यवधान*) तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पुरैची थलाइवी अम्मा ने पहले ही माननीय प्रधान मंत्री जी को एन.एल.सी. में हड़ताल समाप्त करने हेतु मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। … (*व्यवधान*) एन.एल.सी. की मान्यता प्राप्त यूनियनों से जुड़े कर्मचारी शीघ्र और संतोषजनक वेतन संशोधन समझौते की मांग को लेकर 20.7.2015 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। … (*व्यवधान*) एन.एल.सी. कर्मियों को जून, 2014 में अंतरिम राहत दी गई है, उनका वेतन समझौता अभी तक नहीं हुआ है। वर्ष 2011-12 के दौरान एन.एल.सी. का मुनाफा 1,411 करोड़ रुपए था और इसमें 13,700 कर्मचारी कार्यरत थे। … (*व्यवधान*) वर्ष 2014-15 के दौरान, लाभ 1,579 करोड़ रुपए हो गया और कर्मचारियों की संख्या 12,000 रह गई। … (*व्यवधान*) चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान मुनाफा 512 करोड़ रुपए था। एन.एल.सी. के कर्मचारी 24 प्रतिशत वेतन संशोधन और दो वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

मैं केंद्र से अपील करता हूं कि उनकी सभी मांगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाकर एन.एल.सी. में पिछले 21 दिनों से चल रही हड़ताल को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री थोटा नरसिम्हम बोलेंगे ।

… (*व्यवधान*)

*[10]**श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश का एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर लोग गंभीर हैं। पिछली सरकार ने अवैज्ञानिक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप लोग आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। वे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के अधीन विभिन्न उपबंधों को लागू करने के लिए भी दबाव बना रहे हैं। हम अपनी राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार से विधेयक में उल्लिखित सभी प्रावधानों को पूरा किए जाने की मांग करते हैं।

मैं कांग्रेस के सदस्यों के समक्ष उनके विरोध प्रदर्शन और मांगों का औचित्य सिद्ध करने का प्रश्न भी उठाता हूं क्योंकि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ही थी जो आंध्र प्रदेश की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आंध्र प्रदेश की जनता आक्रोशित है और सड़कों पर आंदोलन कर रही है। इसी विरोध के समर्थन में कल तिरूपति में मुनि कोटि नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं था और उस उपबंध के बिना ही आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया था। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौखिक रूप से विशेष दर्जे का उल्लेख किया था, और यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक का हिस्सा नहीं था। इस पृष्ठभूमि में, कांग्रेस के सदस्य अपने विरोध प्रदर्शन का औचित्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं?

इसी तरह, वाई.एस.आर.कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ही सुझाव दिया था कि राज्य को अनुच्छेद 3 के अधीन विभाजित किया जा सकता है। वे सभी घटिया राजनीति कर रहे हैं और हमारे राज्य के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमें माननीय प्रधान

[10] *मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नारा चन्द्र बाबू नायडू जी के कुशल नेतृत्व में हमारा राज्य प्रगति कर रहा है।

हम सरकार के समक्ष आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की अनुसूची 9,10 और धारा 8 को लागू करने के अपने अनुरोध को दोहराते हैं। आंध्र प्रदेश के लोगों और तेलुगु देशम पार्टी की ओर से, हम केन्द्रीय सरकार से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने और आंध्र प्रदेश में एक अलग रेलवे जोन प्रदान करने का भी अनुरोध करते हैं।

(हिन्दी)

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, आज ये लोग चिल्ला रहे हैं ...(व्यवधान) और हम किसानों की बात कर रहे हैं, ...(व्यवधान) किसान बर्बाद हो रहा है और आप अभी भी चिल्ला रहे हैं। राजस्थान में सब जगह बाढ़ का माहौल बन गया है ...(व्यवधान), मेरे क्षेत्र सबसे ज्यादा पानी से मार हुई और हमारे किसानों का नुकसान हुआ ...(व्यवधान)। कई बोरी जीरा-रायड़ा और कई घर बर्बाद हो गए। वसुंधरा जी ने इन लोगों की सब व्यवस्था कराई, उसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके घर-बार सब बर्बाद हो गए। राज्य सरकार वहां राहत का काम कर रही है। कांग्रेस के लोग 60 साल से उनको बर्बाद कर रहे हैं और आज भी चिल्ला रहे हैं। खड़गे जी, आप से निवेदन है कि कम से कम किसान की बात सुनें और किसानों के हित में एक बार बोलें। आप लोग जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। हम एक विशेष पैकेज की मांग करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्माम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं... (*व्यवधान*)

भारत में तेलंगाना कोयला खदानों से समृद्ध राज्य है। सत्रह साल पहले, कोयला खान श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए पांचवें राष्ट्रीय कोयला खान वेतन समझौते के

अनुसार आहरित किए जाने वाले वेतन के आधार पर कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सी.एम.पी.एस.-1998) शुरू की गई थी... (*व्यवधान*)

उनके जीवन यापन के लिए यह पेंशन ही आय का एकमात्र स्रोत है। लेकिन उसके बाद से सरकार ने इसकी समीक्षा नहीं की है और इसमें संशोधन नहीं किया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। चिकित्सा खर्च भी दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है... (*व्यवधान*)

अतः, मैं सरकार से उनके काफी समय से लंबित मुद्दों को निम्नलिखित के अनुसार हल करने का आग्रह करता हूं:

1) सी.एम.पी.एस.-1998 को हर पाँच साल में संशोधित करें जैसा कि पी.एस.यू. में किया जा रहा है;
2) 2) न्यूनतम पेंशन रु.6.500 निश्चित करें;
3) पिछले 14 वर्षों के सी.एम.पी.एस.-1998 की कायिक निधि का मूल्यांकन करें और ब्याज सहित बकाये का भुगतान करें;
4) इस कायिक निधि का मूल्यांकन तीन साल में एक बार के बजाय हर साल करें;
5) सी.एम.पी.एस.-1998 पेंशनभोगी को हर तीन महीने में महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए जैसा कि नियमित कर्मचारियों को डी.ए. का भुगतान किया जाता है;
6) सेवा के दौरान जो भी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध थीं, वे सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहें; और
7) अंत्येष्टि व्यय के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये का अनुदान दें।

(हिन्दी)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डेयरियां स्थित हैं जिनके द्वारा गली मोहल्लों, कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को दूध की आपूर्ति की जाती है। इन डेयरियों में स्वाभाविक रूप से गोबर का भी उत्पादन होता है जिसके प्रति ये निकाय प्रायः उदासीन रहते हैं। नगर विकास मंत्रालय भी कूड़ा निस्तारण की योजनाएं बनाता है परन्तु गोबर को कूड़े की श्रेणी में नहीं मानने से इसके निस्तारण की चिंता नहीं की जाती, जिसके परिणामस्वरूप गोबर आसपास की नालियों में पड़ा रहता है। इसके कारण एक ओर तो वायुमंडल दूषित होता है वहीं दूसरी ओर नालियां-नालों में जाम हो जाने से पानी की निकासी में बाधा

उत्पन्न होती है। इन सभी कारणों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इन डेयरियों को शहर से बाहर किए जाने के आदेश भी किए हैं परन्तु इन आदेशों का पालन अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण संभव नहीं हो पाया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक घर से कूड़ा उठाने की योजना के समान ही प्रत्येक डेयरी से गोबर उठाने की व्यवस्था निकायों द्वारा की जाए। नगर निकाय उसके लिए डेयरियों से निर्धारित शुल्क लें तथा इस एकत्र किए गए गोबर से नगर की सीमा के बाहर किसी उपयुक्त स्थान पर जैविक खाद का निर्माण करें तथा उचित मूल्य पर किसानों को खाद की आपूर्ति करें। इससे अनेक लाभ होंगे, नगर स्वच्छ होंगे, पानी की निकासी ठीक होगी, निकायों की आय बढ़ेगी तथा जैविक खाद से किसानों को लाभ होगा तथा जमीन का भी स्वास्थ्य सुधरेगा। आपने मुझे अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और कुमारी शोभा कारांदलाजे को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करने अनुमति दी जाती है।

… (*व्यवधान*)

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन (इरोड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ड्रग्स और दवाओं की बिक्री में फार्मा ट्रेडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा विहित औषधों की बिक्री की जानी चाहिए। इस प्रकार उनकी भूमिका उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्वस्थ रहना चाहते हैं और बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद लोग हैं। इसलिए, औषध की खरीद और बिक्री दोनों में सक्रिय रूप से मानवीय हस्तक्षेप जरूरी है... (*व्यवधान*)

लेकिन दुर्भाग्य से, भारत में विहित किए गए औषधों का अवैध और अनियमित ऑनलाइन कारोबार काफी तेजी बढ़ रहा है, जिससे दवाओं का दुरुपयोग होगा और जनता के जीवन और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

अतः, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि देश के लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए दवाओं के ऑनलाइन व्यापार को अनुमति नहीं दी जाए। भारत में विपणन की वर्तमान प्रणाली औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा समुचित रूप से विनियमित की जा रही है और केवल यह प्रणाली ही लोगों के जीवन और देश में सात लाख से अधिक खुदरा दवा विक्रेताओं की आजीविका की रक्षा कर सकती है। धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

(हिन्दी)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली में बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) दिल्ली में लाखों लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है और ऊपर से जरा सी बारिश हो जाये, तो जाम को लेकर स्थिति और भी भयावह हो जाती है। ...(व्यवधान) दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की भोली-भाली जनता को मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर खुद[11]* ... करने लग गये हैं। ...(व्यवधान) जहां तक दक्षिणी दिल्ली की बात है, मेट्रो के चौथे चरण में एक भाग बदरपुर से एरोसिटी का है, जो कि दक्षिणी दिल्ली लोक सभा को कवर करेगा। ...(व्यवधान) इस मेट्रो योजना से दक्षिणी दिल्ली की लगभग 35 लाख आबादी के साथ-साथ फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से कापसहेडा गुडंगांव बॉर्डर को जोड़ने का कार्य करेगा। ...(व्यवधान) यह लाइन लगभग 21-22 किलोमीटर लंबी है, जो महरोली बदरपुर रोड की भयंकर समस्या से निजात दिलाने में सहायक होगी। ...(व्यवधान)

11* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किसर गया।

उपाध्यक्ष जी, इस रोड पर सात ऐसे बॉटल नैक हैं, जहां घंटों लाखों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है, जैसे पहलादपुर, लालकुंआ, तिगरी, खानपुर, सैदलाजाब, अंधेरिया मोड, महिपालपुर और संगम बिहार आदि। ...(व्यवधान) दिल्ली देश की राजधानी के साथ-साथ राज्य के रूप में भी है। यहां पूर्णरूप से सरकार का मुखिया माननीय उपराज्यपाल होता है, परन्तु ... मुख्यमंत्री ने [12]... करके दिल्ली के उपराज्यपाल को असहाय जैसी स्थिति में ला दिया है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे उपराज्यपाल को निर्देश दें कि एमबी रोड मेट्रो लाइन को तुरंत शुरू करायें, जो वर्ष 2019 में आनी है। यह केवल बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की ही नींव ही नहीं रखेगी, आपितु दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र की सुव्यवस्थित यातायात की रीढ़ साबित होकर यहां के लाखों लोगों के लिए वरदान भी साबित होगी। इस मेट्रो से ट्रैफिक जाम में फंसने वाले लाखों लोगों को निजात मिलेगी। ...(व्यवधान)

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती): माननीय उपाध्यक्ष जी, मनरेगा में घोटाले की खबरें आम आती रहती हैं। ...(व्यवधान) अक्सर बिना कार्य कराये रकम निकाल लिये जाने की खबरें समाचार-पत्रों में छपती रही हैं। ...(व्यवधान) मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन श्रावस्ती के जनपद बलरामपुर की ग्राम पंचायत चौकिया, विकास खंड गैसडी में ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से बिना कराये मनरेगा ग्राम निधि खाते से एक लाख 80 हजार रुपया आहरित कर लिये जाने की ओर आकर्षित कर रहा हूं। ...(व्यवधान) यह घटना तीन वर्ष पुरानी यूपीए सरकार के कार्यकाल की है। ...(व्यवधान) समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपने और स्थानीय जनता की लिखित शिकायत पर जनपद बलरामपुर के गैसडी ब्लाक के खंड विकास आधिकारी ने 13 अगस्त, 2012 को पत्रांक संख्या 1267/स्था. पत्रा./2012-13 द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत कर विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से उक्त घोटाले की पुष्टि की थी और ग्राम

---

[12] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मि लत नहीं कया गया।

प्रधान एवं ग्राम विकास आधिकारी सचिव के विरूद्ध गलत आभिलेखीय रचना एवं राजकीय धन का बिना कार्य कराये आहरण कर गबन के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली, गैसडी, जनपद बलरामपुर को निर्देश भी दिया था। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, खेद है कि शासन की लापरवाही से मामला अब भी लंबित है। बिना कार्य कराये सरकारी धन हड़पने की पुष्टि होने के कई वर्षों बाद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा दोषिय़ों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई लंबित होने से जनता हतोत्साहित है और भ्रष्टाचार करने वालों का मनोबल दिन-दिनों बढ़ता जा रहा है। ...(व्यवधान) यह गंभीर मामला है। केन्द्र सरकार के धन को हड़पने वालों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने में इतनी देर करने से हम सबका चिन्तित होना लाजिमी है। ...(व्यवधान)

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में समयबद्ध संज्ञान लेकर दोषियों को दंडित करवाने के साथ-साथ सरकारी धन की मय ब्याज वसूली सुनिश्चित करायी जाये। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा और भी तमाम गांवों में इस तरह के घोटाले की शिकायतें आती रहती हैं। विकास खंड गैसडी व बलरामपुर जिले के अन्य ग्रामों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री के.परसुरमन (तंजावुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलाईवी अम्मा के मार्गदर्शन में, मैं पोत परिवहन मंत्री जी का ध्यान अंतरराज्यीय समुद्री परिवहन के विकास की की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

यद्यपि सरकार ने सड़क, रेल और विमान परिवहन को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन समुद्री मार्ग के द्वारा किए जाने वाले अंतर-राज्य परिवहन को प्राथमिकता नहीं

दी गई है। यूरोपीय आयोग के अनुसार कई विकसित देशों में 80 प्रतिशत से ज्यादा माल का परिवहन समुद्री मार्ग के माध्यम से किया जाता है। … (*व्यवधान*) परन्तु भारत में, हमें सड़क परिवहन में यातायात संबंधी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा कीमती समय बर्बाद होता है और साथ ही सड़क परिवहन में होने वाला व्यय भी बढ़ जाता है और इस अधिक व्यय को बचाया नहीं जा सकता है। … (*व्यवधान*) उदाहरण के लिए, यदि हम चेन्नई से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो शहर की सीमा, जो कि केवल 30 किलोमीटर है, इसे पार करने में भी तीन घंटे से ज्यादा समय लगता है, इस यातायात का अधिकांश हिस्सा माल के परिवहन में इस्तेमाल में लाए जाने वाले ट्रकों को होता है। … (*व्यवधान*) इस भीड़-भाड़ से बचने के लिए, अब यह जरूरी हो गया चेन्नई से नागपट्टिनम या कराईकल तक समुद्री परिवहन लिंक सेवा शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएं… (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि का देश है। आजादी के बाद 68 वर्षों में, अगर सबसे ज्यादा किसी ने शासन किया है तो कांग्रेस ने किया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज किसानों की हालत ठीक नहीं है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा बीमा आदि योजनाएं बनाई हैं। माननीय मोदी जी ने इस तरह से कई योजनाएं गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बनाई थीं और अब पूरे देश के किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान पूरा दिन खेत में काम करता है और पूरा दिन थककर रात को आराम करता है लेकिन खेत और फसल की रखवाली जंगली जानवारों से करने कारण रात को आराम नहीं कर पाता है। मेरी आपके माध्मय से केंद्र सरकार से मांग है कि किसानों वायर फेंसिंग और जाली दी जाए, 70 परसेंट सब्सिडी के साथ दी जाए।

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री देवजी एम. पटेल, श्री उदय प्रताप सिंह और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

… (*व्यवधान*)

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराइची थलाईवी अम्मा द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को सौंपे गए ज्ञापन में उजागर किए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। … (*व्यवधान*)

तमिलनाडु में कार्ड धारकों की पात्रता के अनुसार केरोसिन की वास्तविक आवश्यकता 65,140 कि.ली. (के.एल.) प्रति माह है। … (*व्यवधान*) इसका आबंटन, जो मार्च, 2010 तक प्रति माह 59,780 कि.ली. केरोसिन था, पिछले कुछ वर्षों में दस गुना कम कर दिया गया है और जो अब केवल 28,476 कि.ली. रह गया है, जो कि राज्य की आवश्यकता का केवल 44 प्रतिशत है। … (*व्यवधान*) पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों और परिवार कार्ड धारकों के बीच तमिलनाडु में एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या में अभी भी 38 लाख की भारी विसंगति विद्यमान है। … (*व्यवधान*)

इसके अलावा, वर्तमान में जब पूरे राष्ट्र में एल.पी.जी. कनेक्शनों में वृद्धि हो रही है, कुछ राज्यों के लिए केरोसिन के आबंटन में कमी उस बड़े पैमाने पर नहीं की गई है जैसाकि तमिलनाडु के संबंध में की गई है। … (*व्यवधान*) केंद्र सरकार द्वारा राज्य के केरोसिन आबंटन के आवश्यक स्तर 65,140 कि.ली. प्रति माह को तुरंत बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। … (*व्यवधान*) धन्यवाद महोदय। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमती वी. सत्यबामा को डॉ. जे. जयवर्धन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

10.08.2015

... (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट शहर बसाने की बात कही थी, हरियाणा प्रदेश को दो स्मार्ट शहर अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्ट्री से मिले। सरकार ने स्मार्ट सिटी का चयन हिसार और करनाल को 87 अंक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाईडलाइन्स के तहत किया। करनाल मुख्यमंत्री का क्षेत्र है इसलिए इसे चुना गया और हिसार को नेग्लेक्ट किया।

मैं आपके माध्यम से माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम. वैंकैय्या नायडू जी से अपील करता हूं कि इस प्रॉसेस को दोबारा चैक करवाएं क्योंकि हिसार को एनसीआरपीबी ने पहले भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने की बात कही थी और इसे पहले काउंटर मैग्नेट सिटी का दर्जा भी मिल चुका है। हरियाणा प्रदेश में अगर कोई शहर है जो स्मार्ट सिटी में चुना जा सकता है तो वह हिसार है। मेरा आग्रह है कि हिसार को स्मार्ट सिटी योजना में चुना जाए।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2004-05 में कृषि मंत्रालय की असकेड योजना यानी पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता का अमल महाराष्ट्र में शुरु हुआ। इसमें किसानों के पशुधन जैसे गाय, भैंस या अन्य पशुओं की मदद, निगरानी और दवा आदि के लिए डॉक्टर्स का प्रोवीजन है। ये सारी योजनाएं केन्द्र सरकार के माध्यम से शेयरिंग स्कीम्स होती हैं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में पिछले दो वर्ष में जो निधि मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से विनती करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के किसानों के हित के लिए यह जो योजना है, जो निधि लम्बित है, वह तुरंत रिलीज करने की कोशिश करें।

(अनुवाद)

*[13]**श्री पी.आर. सुन्दरम (नामाक्कल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। मैं इस प्रतिष्ठित सभा में चेन्नई के मीनांबक्कम विमानपत्तन पर कांच की छत और कांच के दरवाजे के गिरने के बारे में यह मुद्दा तीसरी बार उठा रहा हूँ। मैं चेन्नई घरेलू विमानपत्तन के प्राधिकारियों के समक्ष कांच की छत और शीशों के गिरने से संबंधित मुद्दे को लगभग 38 बार विस्तार से उठा चुका हूं। माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने विमानपत्तन की उस जगह का दौरा करने के बाद यह आश्वासन दिया था कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। लेकिन इस महीने की 3 और 6 तारीख को एक बार फिर चेन्नई अंतरराज्यीय टर्मिनल के वी.आई.पी. लाउंज के पास 48वीं बार कांच के पैनल और कांच के दरवाजे गिर गए हैं। माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने मुझे लिखे गए एक पत्र में कांच की सामग्री में निकेल सल्फाइड की मौजूदगी को इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। माननीय नागर विमानन मंत्री ने पत्र में यह भी आश्वासन दिया है कि अगले दस वर्षों की अवधि में, इस तरह की घटनाओं में धीरे-धीरे कमी आएगी। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को जिम्मेदारी के साथ दिया गया उत्तर नहीं मानता हूं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ ग्लास पैनल को लगाए जाने के साथ-साथ इस कार्य में शामिल रही निर्माण कंपनियों के विरुद्ध भी त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। महोदय, मैं विमान यात्रियों की सुरक्षा के बारे में अत्यंत चिंतित हूं।

[13] *मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

10.08.2015

(हिन्दी)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह देश संस्कृति और परम्पराओं का देश है और इस देश में लोगों की आस्था धर्म के प्रति है। इसके बावजूद भी इस देश में कुछ लोग जो स्वयंभू महामंडलेश्वर बन रहे हैं, किसी की शादी किसी मिठाई वाले से हो रही है और अगर उसकी मिठाई की दुकान में घाटा हुआ और वह दुबई की तरफ चला गया, पता लगा कि वह मुम्बई की तरफ स्वयं भू राधे मां का अवतार हो जाएं, इससे निश्चित तौर से देश की आम जनता के विश्वास और आस्था को ठेस पहुंच रही है। इस देश में लोगों को पहले साधु, संत और महात्मा कम से कम प्रभु का रास्ता दिखाते थे, एक अच्छी जीवन शैली को जीने का एक तौर-तरीका बतलाते थे, आज जिस तरीके से ये सारथी बाबा, बिंदु बाबा या महामंडलेश्वर या स्वयंभू राधे मां आ गयी हैं, इससे निश्चित तौर से लोगों के विश्वास और उनकी धर्म के प्रति आस्था को ठेस पहुंच रही है। ऐसे लोग जो स्वयं भगवान और देवी का अवतार बन जाएं और लोगों को ठगने का काम करें, देश में अपने आप दरबार लगाकर टी.वी. पर अपनी महिमा मंडित करने का काम करें और कुछ फिल्म इंडस्ट्री वाले, कॉरपोरेट हाउस या रियल एस्टेट के लोग महामंडलेश्वर बन जाएं, यह देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। इसलिए मैं आपके समक्ष मांग करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

10.08.2015

अपराह्न 02.54 बजे

नियम 377 के अधीन मामले[14]

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा के पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो सदस्य इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर विषय का पाठ सभा पटल पर रख सकते हैं।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष मामलों को व्यपगत माना जायेगा।

… (*व्यवधान*)

(एक) हिमालय क्षेत्र में अखरोट की खेती के लिए एक विशेष मिशन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अपनी विशिष्ट भौगोलिकता के दृष्टिगत हिमालय का क्षेत्र सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। यह क्षेत्र जहां औद्योगिक पिछड़ेपन का शिकार है, वहीं यहां पर बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या व्याप्त है। अनियंत्रित पलायन से जहां एक ओर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रयासों को अप्रत्याशित क्षति हो रही है। ऐसे में हिमालय क्षेत्र के राज्यों में कृषि, बागवानी के क्षेत्र में विशेष मिशन प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की असीम संभावनाएं हैं। दुर्भाग्य से संसाधनों के अभाव में उन्नत तौर-तरीकों की कमी के चलते और

---

[14] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

प्रौद्योगिकी के नितान्त अभाव के कारण इन क्षेत्रों में बागवानी उत्पादन बहुत कम है। अखरोट अपनी न्यूट्रीशन की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ओमेगा फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत होने के साथ-साथ यह कालेस्ट्रॉल विशेषकर बैड कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करती है। यह खून में शूगर के स्तर को लंबे समय तक स्थिर रखता है। हिमालय राज्यों की जलवायु के अनुरूप एवं यहां की मृदा परीक्षण रिपोर्ट के दृष्टिगत यहां पर अखरोट के उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि हिमालय क्षेत्र की आर्थिकी में सुधार लाने हेतु हिमालय क्षेत्र में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मिशन की स्थापना शीघ्र की जाए। इन सभी गतिविधियों को केन्द्रित करने हेतु वहां पर सेन्टर ऑफ ऐक्सीलेंस की स्थापना की जाए। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कलमी उच्च किस्म के पौधों के वितरण, उत्पादन, क्षेत्रफल विस्तार हेतु नर्सरी की स्थापना, विभिन्न पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता, संगठित बाजार हेतु उपयुक्त प्रणाली का विकास, निर्यात क्षमता का विकास और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है।

(दो) बिहार में सुगौली तथा लौरिया में एच.पी.सी.एल. द्वारा संचालित चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): बिहार में गन्ना किसानों के गन्ना के बकाया का भुगतान अभी तक चीनी मिलों द्वारा नहीं किए जाने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। बच्चों की फीस, शादी-ब्याह और प्रतिदिन के घरेलू खर्च करने हेतु उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। निजी चीनी मिलों के साथ-साथ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के सुगौली तथा लौरिया चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ो का बकाया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान ब्याज के साथ कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

10.08.2015

(तीन) बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बंद पड़ी पेपर और सूत मिल को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर (बिहार) के झंझारपुर में पेपर मिल के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। झंझारपुर पेपर मिल के लिए कई एकड़ जमीन ली गयी और करोड़ों रूपयों का भवन निर्माण कराया गया और मशीने भी खरीदी गयीं, जो आज तक जस की तस पड़ी हुई है। यदि इस पेपर मिल को पुनः चालू किया जाता है तो जनहित में बहुत बड़ा काम होगा। साथ ही सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व की भी प्राप्ति होगी तथा इस क्षेत्र के युवाओं, मजदूरों और किसानों को भी रोजगार मिलेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगार का दूसरा और कोई साधन नहीं है। साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र के पंडौल में भी सूत मिल बनकर 3-4 साल तक चलने के बाद बंद कर दी गयी जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उक्त दोनों मिलों को चालू कराने की कृपा की जाए।

(चार) एम्स के विभिन्न विभागों में रोटेशन ऑफ हेडशिप पॉलिसी का क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): एम्स राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख संस्थान है जिसे संभवतः हमारे देश के किसी भी अन्य स्वास्थ्य संस्थान की तुलना में सरकार से अधिकतम बजटीय सहायता मिलती है। इसके लगभग 50 विभागों में 800 के करीब संकाय सदस्य हैं। विगत वर्षों के दौरान, कई प्रशासनिक सुधारों को किए जाने के प्रयास किए गए हैं। दुर्भाग्यवश, पिछली सरकार के खराब प्रशासन के कारण सुधारों को दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा ही एक बड़ा प्रशासनिक सुधार था 'विभागों के अध्यक्ष को बदले जाने की नीति'। इस नीति का उद्देश्य विभागों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना और संस्थान के प्रत्येक संकाय सदस्य

को संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाना था। कई सिफ़ारिशें की गई हैं जिनमें अध्यक्ष को बदले जाने के लिए संकाय सदस्यों की राय को जानना और अध्यक्ष को बदले जाने की सिफारिशें भी शामिल हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जो एम्स के पदेन अध्यक्ष भी हैं, ने एम्स के विभागों के अध्यक्ष को बदले जाने की प्रणाली के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए डॉ. एम.के. भान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। विभागों के अध्यक्ष को बदले जाने की नीति हमारी सरकार के सबका साथ, सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप है।

मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करता हूं कि वे सिफारिशों पर ध्यान दें और इन प्रशासनिक सुधारों को किए जाने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें।

10.08.2015

(पाँच) कच्छ के रन के किनारे-किनारे बाखासर, राजस्थान को एक कैनल/चैनल का निर्माण कर अरब सागर से जोड़े जाने की आवश्यकता

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): खारे पानी से भरा परती भूमि का विशाल क्षेत्र, कच्छ का रण गुजरात के अरब सागर से लगते हुए क्षेत्र लेकर राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाखासर तक फैला हुआ है, जिस क्षेत्र का मैं इस प्रतिष्ठित सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे विशिष्ट सहयोगियों को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि राजस्थान को बाड़मेर जिले के बाखासर में अरब सागर से जोड़ने के लिए कच्छ के रण के साथ 300 किलोमीटर की दूरी तक एक नहर/चैनल का निर्माण करना संभव है। रण की भूमि लगभग समतल है और यहां बड़ी चट्टानों और पहाड़ियों जैसी कोई बाधा विद्यमान नहीं है। यह वनस्पति और मानव जीवन से रहित एक बंजर भूमि है। इसकी मिट्टी रेत, कीचड़ और नमक का मिश्रण है। इस प्रकार मिस्र की स्वेज नहर और पश्चिम बंगाल के हल्दिया पत्तन की तरह इसका निर्माण संभव है। इस नहर/चैनल का मार्ग गुजरात से होकर जायेगा। यह गुजरात, राजस्थान और देश के लिए वरदान साबित होगा।

भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि पूरा पश्चिमी बाड़मेर पहले के समय में समुद्र के भीतर था और बाड़मेर में कच्छ के रण से लेकर जैसलमेर के दक्षिण तक एक खाड़ी मौजूद थी। राजस्थान का सांचोर-बाड़मेर बेसिन कैम्बे बेसिन का विस्तार है। बाडमेर बेसिन में तेल की खोज की गई है और वर्तमान में इसका उत्पादन केयर्न इंडिया लिमिटेड द्वारा ओ.एन.जी.सी. के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के मिलने की पूरी संभावना है।

सी-लिंक से संभावित लाभ यह होगा कि इससे गुजरात में खारे पानी से भरी भूमि (लगभग 20,000 कि.मी.) को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी, (2) इससे रण के साथ-साथ भारत की सुरक्षा सशक्त होगी, और (3) इससे राजस्थान तक जहाज पहुंच पाएंगे और बाड़मेर में प्रस्तावित रिफाइनरी से विशेष रूप से कच्चे तेल, एल.पी.जी. और एल.एन.जी. सहित पेट्रोलियम उत्पादों

के लिए उत्तर भारत तक की दूरी कम हो जाएगी। यह पत्तन जिप्सम, लिग्नाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर आदि जैसे खनिजों का निर्यात किए जाने को भी सुगम बनाएगा।

इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे मुंद्रा पत्तन की तरह राजस्थान को बाखासर में अरब सागर से जोड़ने के लिए कच्छ के रण के साथ-साथ एक नहर/चैनल के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण कराएं।

10.08.2015

(छह) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा (उत्तर प्रदेश) में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। कोई क्षेत्र में बड़ा रोजगार का साधन नहीं है। वनगढ़पर फ्लोट ग्लास फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया गया था लेकिन वह वर्षों से बंद है। बांदा की कताई मिल भी वर्षों से बंद पड़ी है। यहां पर पर्याप्त मात्रा में सिलका सैण्ड , ग्रेनाइट आदि उपलब्ध है। शजर पत्थर आदि नायाब चीजें भी मौजूद हैं। जमीनें सस्ती हैं क्योंकि उसमें किसान की लागत भी सिंचाई के अभाव में नहीं निकलती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्र में पलायन को रोकने हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट में कोई बड़ा उद्योग लगाने व स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को काम देने हेतु कारगर व्यवस्था यथाशीघ्र की जाए। इस हेतु यथाशीघ्र निर्देश दिए जाएं।

(सात) महाराष्ट्र में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (बीड): भारत में कपास से बनने वाले धागे का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और साथ ही कपास एक नगदी फसल भी है। यह औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है। कपास के व्यापार में 60 लाख किसान और लगभग 40 से 50 मिलियन लोग संलग्न हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में भारी नुकसान और कीमतों में गिरावट की वजह से कपास उगाने वाले असंख्य किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें विशेष रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र के कपास उत्पादकों की एक बड़ी संख्या शामिल है।

10.08.2015

मजदूरी, कीटनाशक, परिवहन जैसे आदानों की उच्च लागत, बिजली की कमी और जल की कमी के कारण, एक क्विंटल कपास की उत्पादन लागत 5000 रूपए से 5050 रूपए के बीच है, परन्तु सरकार 3750 रूपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का भुगतान करती है।

इसलिए महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार को बाहर से कपास खरीदना बंद करना चाहिए और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाना चाहिए।

10.08.2015

(आठ) गुजरात में खिजाड़िया और अमरेली के बीच रेल लाइन का आमान-परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने तथा खिजाड़िया-अमरेली-धारी-विसावदर-जूनागढ़ रेल लाइन के आमान-परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): ढसा-जेतलसर गेज कनवर्जन का कार्य जो शुरू होने वाला है, वह लाइन अमरेली से केवल 17 किलोमीटर दूर खिजडिया से होकर गुजरने वाली है और अमरेली स्टेशन की वार्षिक आय लगभग 1.65 करोड़ रूपए है, वहां की आबादी लगभग 20 लाख है तथा अमरेली शहर एक जिला मुख्यालय है जबकि खिजडिया एक गांव है। इसी कार्य के साथ अमरेली-खिजडिया का भी बड़ी लाइन बनाने का कार्य सम्मिलित कर लिया जाए ताकि जिले की जनता को रेलवे के ब्रॉडगेज की सुविधा का लाभ मिल सके। साथ ही खिजडिया-अमरेली-धारी-विसावदर-जूनागढ़ लाइन के आमान परिवर्तन परियोजना का दोबारा सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक, चर्चगेट की ओर से रेलवे मंत्रालय को आवश्यक मंजूरी प्रदान करने हेतु वर्ष 2013 में भेज दी गयी थी जो अभी तक लम्बित है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु शीघ्र आवश्यक मंजूरी प्रदान की जाए।

(नौ) हरियाणा में सी.एन.जी. के मूल्य दिल्ली के बराबर किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): सोनीपत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, यह हम सबको ज्ञात है तथा सोनीपत से दिल्ली रोज आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या भी अत्यधिक है। क्षेत्र नजदीक होने के कारण ज्यादातर लोग अपने-अपने वाहनों का प्रयोग करते हैं। सोनीपत में भी सी.एन.जी. के वाहनों की अच्छी-खासी संख्या है परन्तु दिल्ली तथा सोनीपत के सी.एन.जी. के भाव में तकरीबन 6 से 7 रूपये का फर्क है। सोनीपत में रेट ज्यादा होने के कारण वहां के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा उनका अतिरिक्त व्यय भी

बढ़ जाता है। एक तरफ जहां सरकार वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अलग-अलग सी.एन.जी. रेट होने से लोग सी.एन.जी. वाहनों का प्रयोग आधिक नहीं कर पाते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली तथा सोनीपत में सी.एन.जी. के भाव दिल्ली के समान किए जाएं। इसके अतिरिक्त सोनीपत में ज्यादा से ज्यादा सी.एन.जी. पम्प की स्थापना की जाए जिससे सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

(दस) इलाहाबाद में एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने तथा इलाहाबाद से चैन्नई, बैंगलुरू तथा कोलकाता के लिए विमान सेवाएं भी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): प्रयाग शहर प्राचीन काल से सांस्कृतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, न्यायिक एवं राजनैतिक आजादी के आंदोलन का केन्द्र रहा है। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) है जिसके निर्णयों का देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे लोक सभा क्षेत्र फूलपुर (उत्तर प्रदेश) में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान एवं पूरब के ऑक्सफोर्ड के नाम से विख्यात 1887 में स्थापित देश का दूसरा सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद संग्रहालय, चन्द्रशेखर आजाद पार्क, सम्राट अशोक का किला, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, एवं उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मेरे लोक सभा क्षेत्र में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कौशाम्बी जनपद की मुख्य कनेक्टिविटी भी इलाहाबाद से ही है। इलाहाबाद में लगने वाला कुम्भ, अर्द्धकुम्भ एवं माघ मेला दुनिया में अपनी तरह का अद्वितीय आयोजन है। महाकुम्भ में मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर स्थित कुम्भ नगर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, अक्षयवट, नागवासुकी मन्दिर, वेणीमाधव मन्दिर, उल्टा किला, बड़े हनुमान जी एवं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी

का संकीर्तन भवन आदि होने के कारण पूरे साल देश एवं विदेश से तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का आवागमन होता रहता है परन्तु वायु यातायात की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों को आवागमन की विकराल समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रयाग के पर्यटन उद्योग सहित समग्र विकास के लिए अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा अति आवश्यक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आजादी के पूर्व फाफामऊ में बनी हवाई पट्टी का लगभग 1300 एकड़ क्षेत्रफल खाली पड़ा है, यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाए। स्मार्ट सिटी इलाहाबाद से दिल्ली, मुम्बई की तरह चेन्नई, बैंगलौर, कोलकाता आदि शहरों तथा प्रमुख देशों के लिए उड़ानों की शुरूआत की जाए। दिल्ली, मुम्बई उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही इलाहाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना की जाए।

(ग्यारह) विषैली खाद्य वस्तुओं की समस्या के बारे में

(अनुवाद)

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर): हमारे दैनिक उपभोग के लगभग सभी खाद्य पदार्थ कीटनाशकों और कृषि-रसायनों से संदूषित होते हैं। ताजे पानी की मछली में औद्योगिक बहि:स्त्रावों में पाए जाने वाले रसायन और पारा होता है, कुक्कुट और अंडे हार्मोन से संदूषित होते हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों से ड्राप्सी, प्रजनन अक्षमता, मोतियाबिंद, मस्तिष्क, लीवर और किडनी को नुकसान, कैंसर, त्वचा रोग, हृदय रोग और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में तेजी से हुए विकास से अलग से मिलाई जाने वाली सामग्री के कारण संदूषण का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा बेईमान व्यापारी लाभ को बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। देश में सालाना लगभग 30,000 टन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, जिनमें से 70% से ज्यादा ऑर्गेनो-चेओरिन यौगिकों से बने होते हैं, कृषि में

इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों की श्रेणी में से केवल यूरिया का ही हमारे देश की वार्षिक आवश्यकता में 31 मिलियन टन का हिस्सा होता है। हाल ही के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि लगभग 20% खाद्य उत्पादों में पाए गए कीटनाशकों के अवशिष्ट अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एम.आर.एल.) से ज्यादा रहे हैं। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 12 राज्यों से यादृच्छिक रूप से एकत्र किए गए नमूनों में से 82% नमूनों में डी.डी.टी. पाया गया है। मेरा यह अनुरोध है कि विनियमनकारी एजेंसियों के कार्यकलापों को सशक्त बनाकर, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों और विनियमों के कड़े अनुपालन के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ-साथ कठोर कार्रवाई करके खाद्य पदार्थों के विषाक्त होने के बढ़ते खतरों से निपटने और नयी पीढ़ी को इस खतरे से बचाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

10.08.2015

(बारह) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मांस के अवैध व्यापार पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर): मैं सरकार का ध्यान पश्चिमी उत्तर में फैले मीट के अवैध व्यापार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश मीट के अवैध व्यापार का गढ़ बन चुका है। विशेष रूप से जनपद सहारनपुर में मीट का अवैध व्यापार चरम पर है जिस कारण हजारों पशु प्रतिदिन जनपद में काटे जा रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या दुधारू पशुओं की भी होती है जिनमें गोवंश का कटान भी भारी मात्रा में प्रतिदिन किया जा रहा है जिस कारण जनपद में साम्प्रदायिक टकराव की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। सहारनपुर में पशुकटान के लिए नगर में स्लाटर हाउस को केवल 100 भैंस प्रतिदिन एवं जनपद के गंगोह कस्बे में नगर पालिका द्वारा अनुमोदित स्लाटर हाउस में 100 भैंस प्रतिदिन व जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित स्लाटर में 200 भैंस प्रतिदिन एवं ग्राम हरोडा स्थित एलम इन्डस्ट्री लिमिटेड नामक स्लाटर इकाई को 650 पशु प्रतिदिन कटान की अनुमति है। कस्बा गंगोह के दो स्लाटर हाउस एवं सहारनपुर नगर के एक स्लाटर हाउस को मीट परिवहन की अनुमति नहीं है अर्थात ये तीनों स्थल केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही पशु कटान के लिए अधिकृत हैं किन्तु हजारों पशु प्रतिदिन काटे जाने के परिणामस्वरूप यहां से सैकड़ों मीट के ट्रक जनपद से बाहर गाजियाबाद आदि स्थित मीट की निर्यात इकाई को भेजा जाता है जो पशु कटान पर सरकार को मिलने वाले 60 रूपए प्रति पशु के राजस्व का भी सीधा-सीधा नुकसान है। ग्राम हरौडा स्थित एक इकाई भी अपने 650 पशु प्रतिदिन की संख्या से कई गुना आधिक पशु प्रतिदिन कटान करती है जिस कारण इकाई के आस-पास के ग्रामों का भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो चुका है और ग्रामीण अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अनुमति से अधिक पशु कटान का प्रमाण इस फर्म में दर्शाए गए अपने वार्षिक टर्न ओवर 500 करोड़ रूपये के रूप में भी मिल जाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में हो रहे इस अवैध पशु कटान पर रोक लगाने के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए।

(तेरह) सभी वृद्ध लोगों, शारीरिक रूप से विकलांगों और विधवाओं को उनके कल्याण के लिए बनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने हेतु उन्हें बी.पी.एल. कार्ड जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (राँची): सरकार का पूरा प्रयास है कि वृद्ध एवं वृद्धा, विकलांग लोगों एवं विधवा महिलाओं इत्यादि सभी को विधवा पेंशन सुविधा मिले परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में यह प्रावधान बना रखा है कि जिन वृद्ध एवं वृद्धा, विकलांग लोगों एवं विधवा महिलाओं के पास बी.पी.एल. कार्ड हैं, उन्हें यह पेंशन की सुविधा मिल पाएगी। अलग इन वर्गों के पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है तो इन वर्गों को उत्त पेंशन नहीं मिल सकती है। इन वर्गों के बी.पी.एल कार्ड भी नहीं बनाये जा रहे हैं जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को उपरोक्त पेंशन की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। जो बीपीएल कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन लोगों के पास बीपीएल कार्ड हैं और जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड होने चाहिए, उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पंचायत स्तर पर सर्वे करवाकर बीपीएल की नई सूची तैयार की जाए जिससे विकलांग एवं विधवा तथा गरीब परिवार के सभी लोगों जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उन सभी को पेंशन पाने का आधिकार मिले। इसकी व्यवस्था की जाए एवं इस संबंध में नियमों को भी सरल बनाया जाए।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में दहर झील पक्षी विहार में पर्याप्त जल स्तर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय पर्यटन मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के कस्बा साण्डी में राष्ट्रीय दहर झील पक्षी विहार है जिसे वर्ष 1995 से राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। इस दहर झील में विदेशी पक्षी सैलानी सर्दियों के महीनों में 3 माह तक प्रवास करते हैं तथा देश एवं विदेश के पर्यटक इस दहर झील को देखने/घूमने

के लिए आते हैं। लेकिन इस झील में वर्षों से जल वर्षा के बाद सूख जाता है। वर्ष में मात्र दो से 4 महीनों तक ही पानी रहता है, वह भी बहुत कम मात्रा में। जबकि गंगा नदी से दहर झील में पानी आता था लेकिन नदी का जल स्तर गिरने से दहर झील में पानी का आना बन्द है जिससे सैलानी पक्षी एवं पर्यटकों का आना-जाना व्यर्थ प्रतीत होता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय दहर झील में जनहित में जल भरने की कोई विशेष योजना तैयार की जाए।

(पन्द्रह) मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): प्रतिवर्ष हजारों पुरूष, महिलाएं और बच्चे अपने-अपने देश और विदेश में तस्करी के शिकार बन जाते हैं। विश्व का लगभग प्रत्येक देश इस समस्या से जूझ रहा है। वर्ष 2012 की तुलना में 2013 में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जिसका आँकड़ा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विदेशी लोग भारत के विभिन्न राज्यों में आकर गरीब और भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें विदेश में अच्छा करोबार/नौकरी का लालच देते हैं और वे गुमराह होकर विदेश चले जाते हैं। विदेशी भारत आकर भारतीय लड़कियों से शादी करके उन्हें अपने साथ विदेश ले जाते हैं जहां उनका शोषण किया जाता है। इस कार्य में कुछ असामाजिक तत्व एवं फर्जी कम्पनियां शामिल हैं जो उनका फर्जी पासपोर्ट, वीजा एवं टिकट आदि का प्रबंध कराते हैं।

विगत कुछ वर्षों में मानव तस्करी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, यह चौकाने वाला सत्य है। वर्तमान में हजारों लोग विदेशों में कार्य करने के लिए जाते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं जिसका मूल कारण इन्हें दिया जाने वाला प्रलोभन होता है। महिलाओं की स्थिति बडी दयनीय है। उन्हें एक मुश्त राशि देकर उनकी खरीद-फरोख्त की जाती है और विदेशों में ले जाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उदाहरण हेतु मैं बताना चाहती हूं कि विदेश में ऊंटों की दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें ऊंटों की रफ्तार को

10.08.2015

बढ़ाने के लिए मासूम बच्चों को उनकी पीठ पर बांध दिया जाता है जितना तेज बच्चा रोता है उतना ही ऊंट तेज गति से दौड़ता है। इस दौड़ में कई मासूमों की मौत तक हो जाती है।

मानव तस्करी, विशेषकर बच्चों की तस्करी आधुनिक गुलामी का एक रूप है और इस जटिल समस्या के समाधान के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह ऐसी समस्या है जिससे पीड़ितों के अधिकारों एवं उनकी मर्यादा का उल्लंघन होता है, इसलिए उसके उन्मूलन हेतु कार्य करते समय बच्चों के अधिकारों के महत्व पर अनिवार्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त व्यक्तियों/कम्पनियों की सम्पत्ति व आय के अन्य स्रोतों को शीघ्र प्रभाव से जब्त किया जाए जिससे उनके नेटवर्क को समाप्त किया जा सके। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता में बदलाव कर ऐैसे कार्य के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। इस कार्य में सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों, दबाव समूहों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी जिससे इस अमानवीय प्रचलन को रोका जा सके।

10.08.2015

(सोलह) कर्नाटक में तुमकुर को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा (टुमकुर): भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट में यह घोषणा की थी कि सात राज्यों में औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। जिनमें से कर्नाटक के टुमकुर को भी चेन्नई-बैंगलोर औद्योगिक गलियारे क्षेत्र में एक ऐसे स्थल के रूप में घोषित किया गया था जहां औद्योगिक स्मार्ट शहर की स्थापना की जाएगी। कर्नाटक के लोगों, विशेष रूप से टुमकुर के लोगों को टुमकुर में औद्योगिक स्मार्ट सिटी के बारे में किसी भी बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पूरे देश और तुमकुर के लोगों के मन में एक आशा जगी है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट की प्रस्तुति के समय कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय कहा है कि चेन्नई-बैंगलोर औद्योगिक गलियारा क्षेत्र के लिए तीन औद्योगिक गलियारों की मास्टर प्लानिंग मार्च 2015 तक पूरी की जानी थी।

हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं इस परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कर्नाटक के टुमकुर में औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाए जाए।

10.08.2015

(सत्रह) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बी.आर.टी. टाइगर रिजर्व की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट आबंटित करने और समय पर धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र का बी.आर.टी. टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल 574.83 वर्ग कि.मी. है, बाघों का पुरातन पर्यावास रहा है और पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या 10.21/100 वर्ग कि.मी. है जो स्वस्थ बाघों की उपस्थिति को दर्शाता है और इस स्थान पर बाघों को संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

बाघ अभयारण्य के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों में अवैध शिकार,आग लगने की घटनाओं से बचाया जाना, पर्यावास में सुधार किया जाना, मानव-वन्यजीव संघर्ष आदि शामिल है। इन कार्यकलापों के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता है और निधियों को समय पर जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन तथ्य यह है कि हर साल संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि के बीच अंतर होता है और हर साल बजटीय आबंटन में भी कमी की जाती है, जिससे टाइगर रिजर्व के प्रबंधन/संरक्षण से संबंधित मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान 235.452 लाख रुपए की संस्वीकृत राशि में से केवल 188.360 लाख रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2014-15 के दौरान 185.286 लाख रुपये की संस्वीकृत राशि में से केवल 148.2286 लाख रुपए जारी किए गए थे और वर्ष 2015-16 के दौरान आज तक 145.0727 लाख रुपये की संस्वीकृत राशि में से केवल 116.0581 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस पर ध्यान दिया जाए और बी.आर.टी. रिजर्व को इस प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्याप्त आबंटन किया जाए और समय पर धनराशि जारी की जाए।

10.08.2015

(अठारह) इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई से शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरा करने वालों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लुर): इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई से शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 3,500 से ज्यादा शिक्षु वर्ष 1998 से नियोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये शिक्षु नियोजन के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। देश के अन्य सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों ने योग्य शिक्षुओं को नियोजन प्रदान कर दिया है, जबकि आई.सी.एफ., चेन्नई ही एक अपवाद के रूप में बचा रह गया है। पिछले सात वर्षों के दौरान, आई.सी.ई. में रिक्त पदों को आर.आर.बी. और आर.आर.सी. के माध्यम से अन्य राज्यों से अभ्यर्थियों का चयन करके भरा गया था, जिसमें तमिलनाडु के 5,000 से ज्यादा प्रशिक्षित शिक्षुओं को नजरअंदाज किया गया है। यह जानकारी भी मिली है कि देश के अन्य हिस्सों से शिक्षुओं को नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर जाली दस्तावेज़ों को दाखिल किया गया है और अभ्यर्थियों के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा परीक्षा दी गई है और इस तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। रेलवे को प्रशिक्षित शिक्षुओं की भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो रेलवे को हरेक अभ्यर्थी की भर्ती के लिए 55,000 रुपये व्यय करने पड़ेंगे।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि आई.सी.ई., चेन्नई से प्रशिक्षित सभी शिक्षुओं को तुरंत प्लेसमेंट मिले और वे भी भारत में कहीं भी उत्पादन इकाइयों या जोनल रेलवे में काम करने के इच्छुक हैं। दक्षिण रेलवे में भी सुरक्षा श्रेणियों की कई रिक्तियों को भरा जाना है। इन सभी रिक्तियों को तमिलनाडु के प्रशिक्षित शिक्षुओं द्वारा भरा जा सकता है जिससे इन शिक्षुओं की उम्मीदें कायम रहेंगी।

10.08.2015

(उन्नीस) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में अम्बासमुद्रम रेलवे स्टेशन पर बुनियादी अवसंरचना विकसित किए जाने और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के.आर.पी. प्रबाकरन (तिरूनेलवेली): अंबासमुद्रम तमिलनाडु के मेरे तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में स्थित एक नगर है। यह नगर तमिराबरानी नदी के तट पर और पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है। यह प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली से भरपूर एक बड़ा नगर है। इस नगर का सबसे बड़ा आकर्षण मुंडनथुराई-कलाकड़ टाइगर रिजर्व है। हर साल आदि महीने में पारंपरिक दरबार का त्योहार मनाया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तिरूनेलवेली से तेनकासी तक का क्षेत्र अत्यंत आकर्षक और दक्षिण भारत का अत्यंत मनमोहक क्षेत्र है।

अंबासमुद्रम में एक रेलवे स्टेशन (ए.एस.डी.) है जिसमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिला मुख्यालय तिरुनेलवेली तक आने-जाने वाले छात्रों और कर्मचारियों की भारी भीड़ का प्रबंधन करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पेयजल, रोशनी, प्लेटफार्म छत, टिकट काउंटर जैसे बुनियादी ढ़ांचे को विकसित करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अंबासमुद्रम रेलवे स्टेशन (ए.एस.डी.) पर बुनियादी ढांचे का विकास करने और इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों की बारंबारिता को बढ़ाए जाने का आग्रह करता हूँ।

10.08.2015

(बीस) रांची-विजयवाड़ा राजमार्ग पर सिलेरू नदी पर माटु-सिलेरू पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): एक पृथक राज्य का दर्जा मिलने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को संशोधित प्राक्कलन भेजने में तेलंगाना सरकार की असमर्थता के कारण रांची विजयवाड़ा राजमार्ग पर सिलेरू नदी पर मोटू-सिलेरू पुल के निर्माण में देरी हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार से इस तरह के संशोधित प्राक्कलन को मंजूरी मिलने के बाद उक्त पुल का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

गृह मंत्रालय ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में माओवादी खतरे का मुकाबला करने में पुल के महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 मार्च, 2011 को उक्त पुल के निर्माण के लिए 33.97 करोड़ रूपए की मंजूरी दी थी, जिसे 2 फरवरी, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। यह पुल न केवल ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, बल्कि मलकानगिरी जिले के लोगों की हैदराबाद, विजयवाड़ा और खम्माम जिलों तक पहुंच को भी सुविधाजनक बनाएगा, जिससे ओडिशा के माओवादी प्रभावित मलकानगिरी जिले को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से सिलेरू नदी पर मोटू-सिलेरू पुल के निर्माण के मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने का आग्रह करता हूं और तेलंगाना सरकार पर संशोधित प्राक्कलन तुरंत भेजने और केंद्र सरकार द्वारा इसे जल्द से जल्द मंजूरी दिए जाने का भी पुरजोर आग्रह करता हूं।

10.08.2015

(इक्कीस) देश में बाल विवाह रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता (हिन्दी)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): बाल विवाह भारत देश की दिनोंदिन गहरी समस्या बनती जा रही है। कम आयु में लड़की का गर्भवती होना इसका प्रमाण 2014-2015 में 22 प्रतिशत बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं' का नारा देकर एक जन जागरण आभियान शुरू किया है। फिर भी हमारे भारत वर्ष में गुड़िया खेलने की उम्र में लड़कियां गर्भवती हो रही हैं। बाल विवाह के कारण बेटियों की शिक्षा अधूरी रह रही है। कम उम्र में शादी, कम उम्र में गर्भवती होने के कारण उसका असर माता और गर्भ में पल रहे शिशुओं में हो रहा है। उसके कारण माता मृत्यु, गर्भपात, कुपोषित शिशु, सन्तान शिक्षा, स्त्री शिक्षा जैसी जटिल समस्या देश का गला पकड़ रही है। महाराष्ट्र में विगत दो साल में कुमारी माता की संख्या दस हजार से भी आधिक है। बाल विवाह का प्रमाण 35 प्रतिशत है जिसमें दुल्हन की आयु 15 से 17 साल की है। तीन सौ साल पुरानी प्रथाएं आज भी चल रही हैं। अकेले मुम्बई में 2012-2013 में तीस हजार विवाहित, आविवाहित महिलाओं के गर्भपात हुए। इसमें कुछ गर्भपात लिंग निदान की वजह से हैं तो कुछ अनैतिक संबंधों की वजह से हो चुके हैं। इसमें 15 से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 150, 15 से 17 आयु वाली लड़कियों की संख्या 1600, 18 साल से ऊपर की महिलाओं की संख्या 27000 है। बेटी का गर्भ में ही गला घोट देना आज भी कम नहीं हुआ है। गर्भपात का एक दूसरा पक्ष है दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री करना और ऐसी कंपनियों पर अंकुश रखने पर सरकार अभी भी सफल नहीं हुई है। हाल ही में जोधपुर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की की शादी एक मजदूर से कर दी। आज भी घर-घर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज भी वह अत्याचार से ग्रस्त हैं। किसी की जबरन शादी कर दी जा रही है, किसी से बलात्कार हो रहा है, किसी को गुड़ियों से खेलने की उम्र में माता बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों में बचने के लिए बाल विवाह कानून को कड़ाई से अमल में लाया जाए। उसके लिए शीघ्र न्याय व्यवस्था निर्मित कर लोगों की इस गन्दी मानसिकता को बदलने के लिए अभियान चलाया जाए।

(बाईस) आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री एन. क्रिष्टप्पा (हिंदुपुर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला देश का दूसरा सबसे पिछड़ा और सूखाग्रस्त जिला है।

अनंतपुर जिला गंभीर सूखे की समस्या से जूझ रहा है। पिछले 15 वर्षों में बहुत कम वर्षा हुई है। मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग 3000 गाँव हैं और पेयजल की भारी कमी के कारण स्थिति गंभीर है। बरसात के मौसम में भी किसी भी पेयजल परियोजना में जल की एक बूंद भी नजर नहीं आती है।

जिले में कम बारिश होने से अन्य व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण भेड़ पालन में भी भारी गिरावट आई है। अनंतपुर की एक प्रमुख फसल मूंगफली, वर्षा के अभाव के कारण आरंभिक अवस्था में ही नष्ट हो रही है। रेशमकीट पालन दूसरा व्यवसाय है, रेशम के धागे पर आयात शुल्क कम होने से 50% से ज्यादा व्यापार कम हो गया है। बुनकर और अन्य कारीगर अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हैं क्योंकि बाजार में नगदी का प्रवाह नहीं है।

यहां पर जल की भारी कमी है और पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। जिला कलेक्टर ने हाल ही में अनंतपुर जिले का दौरा करने वाले मंत्रियों की केंद्रीय टीम से सूखा राहत उपायों के लिए 1405 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया है।

मॉनसून के दौरान कम वर्षा, गिरते भूजल स्तर, बेमौसम बारिश, चारे की अनुपलब्धता के कारण इस साल खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है, इसलिए किसानों की उम्मीदें केंद्रीय मंत्रियों के हालिया दौरे पर टिकी हुई हैं।

राज्य अनंतपुर जिले को जल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से भी आग्रह करता हूं कि हमारे प्रति सहानुभूति दर्शाए और जल्द से जल्द अपना सहयोग प्रदान करे।

लोक सभा चुनाव से पहले यू.पी.ए. सरकार ने सीमांध्र क्षेत्र को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। जैसा कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, आंध्र प्रदेश राज्य में आत्महत्याओं को रोकने के लिए विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की घोषणा तुरंत की जानी चाहिए और पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।

इन सब बातों के साथ-साथ, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी अनंतपुर और अन्य रायलसीमा क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों को परस्पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे केंद्र के स्तर पर जल्द से जल्द सभी स्वीकृतियां प्रदान करके परियोजना को पूरा करने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करे। तब तक जिले में सूखे की स्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्र से तत्काल राहत दिलाने की कृपा करें।

10.08.2015

(तेईस) राष्ट्रीय खेलकूद नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): मैं 'खेल में राजनीति' का मामला उठाना चाहता हूँ। यह बिल्कुल सही कहा गया है कि ' स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है ।' भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विश्व के छोटे-छोटे देश अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और पदक जीत रहे हैं, जबकि ऐसे आयोजनों में भारतीयों का प्रदर्शन सही नहीं होता है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हम अच्छे खिलाड़ियों को आगे लाने और अपने देश के लिए सम्मान हासिल करने में असमर्थ रहे हैं।

सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को बहुत कम उम्र यानी शिशु अवस्था/स्कूल के स्तर पर ही खेलकूद के लिए तैयार करें। हमें एक व्यवस्थित और सुनियोजित योजना बनानी होगी। खेलों के विकास पर बहुत सारी धनराशि आबंटित और खर्च की जाती है लेकिन कुछ भी ठोस नतीजे हासिल नहीं होते हैं। यह एक पहेली बन गई है कि ये सारी धनराशि कहां खर्च हो रही है। खिलाड़ियों के प्रति उदासीनता और खाद्य पदार्थों, पोषक खाद्य पदार्थों, उपकरणों, खेल के कपड़े, प्रशिक्षण सुविधाएं, कोच, छात्रावास आवास, प्रायोजक आदि की अनुपलब्धता की रिपोर्टें मिल रही हैं। इन सब बातों के बावजूद भी खेलों के विकास के लिए कई एजेंसियां संलग्न हैं और इसमें कई निहित स्वार्थ शामिल हो गए हैं और जिसके परिणामस्वरूप इसमें राजनीति आ गई है।

जब खिलाड़ी विभिन्न खेल संस्थाओं के बीच आपसी कलह देखेंगे तो खेलों का विकास कैसे हो सकेगा?

लेकिन हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू किया गया योग कार्यक्रम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक सही कदम है। भारत को खेलकूद में एक अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए 'स्केट इंडिया' परियोजना एक अच्छा बूस्टर साबित होगी और कम समय में लक्ष्य हासिल करने

में इससे मदद मिलेगी। देश में खेलों के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए, खेलों के भविष्य के विकास के लिए और भारत को एक उभरता हुआ खेलकूद में अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए एक 'राष्ट्रीय खेल नीति' बनाने और इसे सावधानीपूर्वक लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।

10.08.2015

(चौबीस) सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए पर्याप्त धनराशि और अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल): सांसद आदर्श ग्राम योजना से देश के ग्रामीण लोगों में काफी उम्मीदें जगी हैं। भूमि, आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, सड़क और पुल आदि बुनियादी आवश्यकताओं की मांगें सांसदों के समक्ष रखी जा रही हैं। एम.पी.एल.ए.डी. योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित की गई धनराशि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधीन आने वाले विभागों, एजेंसियों, सरकारी उपक्रमों और अन्य निकायों के पर्याप्त समन्वय के बिना सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों की घोषणा ने सांसदों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं, जिससे उनके पास अपने-अपने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए और भी कम समय मिल पा रहा है।

यह मामला दिनांक 13.05.2015 को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। अतः, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि, पर्याप्त कर्मचारी, सुविधाएं और समन्वय प्रदान करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

10.08.2015

(पच्चीस) आंध्र प्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता के बारे में व्यापक सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): मैं आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के खनन मुद्दों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

खनिज समृद्ध संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र अराकू के अनुसूचित क्षेत्र के 75 प्रतिशत हिस्से में आने वाले पूरे क्षेत्र में जनजातीय आबादी रहती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिजों की पहचान करने के लिए किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

यद्यपि खनन नीति बनाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक अनुसूचित क्षेत्रों के लिए इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने वाले किसी भी कार्यकलाप के लिए पेसा (पी.ई.एस.ए.) अधिनियम, जो 2011 से लागू है, के अधीन ग्राम सभा के द्वारा पारित किए गए संकल्प की आवश्यकता होती है लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे किसी संकल्प के बिना खनन कार्य किया जा रहा है। इसके कारण जनजातीय क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है और अवैध खनन के विरुद्ध स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं।

मैंने माननीय खान और खनिज मंत्री को भारत के भूवैज्ञानिक विभाग द्वारा अराकू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता के संबंध में एक व्यापक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिए जाने के लिए एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी अनुरोध करती हूं कि अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने वाले खनन के संबंध में एक स्पष्ट नीति की घोषणा की जाए। मैं माननीय मंत्री जी से स्थानीय जनजातीयों और राष्ट्र के हित में इस संबंध में समुचित आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध करती हूं।

10.08.2015

(छब्बीस) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत किडनी रोगियों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए जाने में कथित विसंगतियों के बारे में

(हिन्दी)

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली): आज देश में निम्न, मध्यम एवं बीपीएल मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान प्रावधान में विसंगतियां व्याप्त हैं। आम मरीजों और जनप्रतिनिधियों में इस प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति व्याप्त है। अभी हमने अपने क्षेत्र के बीपीएल मरीज को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत किडनी प्रत्यारोपण के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए पत्र केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भेजा। पत्र के आलोक में दिनांक 28 मई, 2015 को अधोहस्ताक्षरी को जवाब आया कि अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं है क्योंकि मरीज का इलाज निजी अस्पताल में हो रहा है। पुनः दिनांक 08 जून, 2015 को प्राप्त पत्र में सूचित किया गया है कि 'मैं मामले को दिखवा रहा हूं।' इस पत्र से उम्मीद बढ़ी कि मरीज को अनुदान मिलेगा और इस संबंध में हमने पुनः पत्र माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर संशय की स्थिति और उक्त अहमदाबाद के नामचीन और विशेषज्ञ अस्पताल के मरीजों को प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुदान स्वीकृति प्रदान करने के प्रावधान से अवगत कराया परन्तु उक्त पत्र का जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित मरीज उक्त अस्पताल से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।

इस प्रसंग में मेरा सुझाव है कि एचएमडीजी, आरएएन और पीएमएनआरएफ के अन्तर्गत निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अनुदान प्रदान कराने का प्रावधान किया जाए क्योंकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समझ नहीं आता कि मेरी जान सरकारी या निजी अस्पताल में बचेगी? इस कारण सभी अनुदान प्रावधानों को एकीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि मरीजों के समक्ष संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपयुक्त सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मेरे पत्र के आलोक में गलत सूचना भेजने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाए।

10.08.2015

अपराह्न 02.54 1⁄2 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सतत विकास लक्ष्य - जारी

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम नियम 193 के अधीन मद सं.20 पर चर्चा करेंगे। श्री प्रह्लाद सिंह पटेल अपना भाषण जारी रखेंगे।

… (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है।...(व्यवधान) आज जो कुछ भी सदन के भीतर हो रहा है, वह भी हमारे विकास के लिए बहुत बड़ा अवरोध है।...(व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: उन्हें इस तरफ आने दीजिए। अन्यथा, मैं सभा को स्थगित नहीं करूंगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी, आप बाद में अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 11 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 02.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 11 अगस्त, 2015/20 श्रावण, 1937 (शक*)* के पूर्वाह्न ग्यारह *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

10.08.2015

10.08.2015

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं***:***

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

10.08.2015

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित